सरपरस्त
हज़रत मौलाना सै0 बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी
नाज़िम नदवतुल उलमा, लखनऊ

सम्पादक
मु0 गुफ़रान नदवी
उप सम्पादक
जमाल अहमद नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
☎ 0522–2740406 (8:00 am to 1:00 pm)
E-mail: sachcharahi2002@gmail.com
http://sachcha-rahi.nadwa.in/
www.nadwatululema.org

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 30/-
वार्षिक	₹ 300/-
विदेशों में (वार्षिक)	50 युएस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
SACCHA RAHI

SACCHA RAHI
A/c. No. 10863759642
IFS Code: SBIN0000125
Swift Code: SBINNB157
State Bank of India,
Main Branch, Lucknow.

कृप्या पैसा जमा करने के बाद दफ़्तर के फोन नम्बर अथवा ई–मेल पर खरीदारी नम्बर के साथ अवश्य सूचित करें।

हिन्दी मासिक सच्चा राही

सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

SACHCHA RAHI.ISSN 2582-4007

नवम्बर 2023 वर्ष 22 अंक 09

''अवाम के ज़ख़्मों पर मरहम''

मुल्क को एक ऐसे अभियान और नेतृत्व की ज़रूरत है जो अवाम के ज़ख़्मों पर मरहम का काम करे, जो मानव के लिए वास्तविक सहायक हो, जो झूठी इज़्ज़त, सस्ती शोहरत और बदले की भावना से पाक हो, बिगड़े हुए हालात का सुधार, बिगड़े हुए इन्सानों के ज़रिये नहीं किया जा सकता। ऐसे अवसर पर पैगम्बराना किरदार व अमल और ईश भक्तों की सी विशेषताएं और गुण ज़रूरी हैं। इन विशेषताओं के लोग चाहे मुट्ठी भर हों परन्तु वही लोग बिगड़े हुए समाज को सुधार सकते हैं।

(मौलाना इस्हाक़ जलीस नदवी रह0)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा ख़त्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। आप अपना पैसा दिये गये बैंक खाते में भी जमा कर सकते हैं। अथवा मनीआर्डर से भी भेज सकते हैं। मनीआर्डर के कूपन पर अपने खरीदारी नम्बर के साथ मोबाइल नम्बर अवश्य लिखें।

मुद्रक एवं प्रकाशक मोहम्मद ताह्र अतहर द्वारा काकोरी आफसेट प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर सच्चा राही नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।
Designing & Composing by: Qamaruzzama-8318047804

विषय एक दृष्टि में

कुरआन की शिक्षा	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	05
प्यारे नबी की प्यारी बातें	मौलाना हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0	07
कुरआन का पैग़ाम	मुहम्मद गुफ़रान नदवी	09
इस्लामी अक़ीदे	मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी	11
इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं	मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी	12
हज़रत मौ0 सय्यद मु0 राबे हसनी	मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी	16
शरई क़ानून और इन्सानी क़ानून	मौलाना ख़ालिद सैफुल्लाह रहमानी	19
भारत के अतीत में मुस्लिम	सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान	22
फ़िलिस्तीन और मुसलमान	इदारा	25
नये संसद भवन में रचा गया	इं0 जावेद इक़बाल	26
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़र आलम नदवी	28
पर्यावरण संरक्षण	वारिस हुसैन	30
घरेलू मसायल	मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन संभली रह0	34
शिष्टाचार	इदारा	36
हमारा दीन, वालदैन और हमारी	शमीम इक़बाल खाँ	37
स्वास्थ्य	डॉ0 लोकेश के0 भारती	39
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	अबू मोहम्मद आमिर नदवी	41
अहले ख़ैर हज़रात की खिदमत में	इदारा	42

क़ुरआन की शिक्षा

मौलाना बिलाल अ़ब्दुल ह़ई हसनी नदवी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूर-ए-हूदः-

अनुवादः—

फिर जब हमारा आदेश आ गया तो हमने वह बस्ती ऊपर की नीचे कर डाली और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर परत दर परत बरसाए(82) जो आपके पालनहार की ओर से ख़ास निशान वाले थे और वह (बस्ती) इन अत्याचारियों से कुछ दूर भी नहीं[1](83) और मद्यन की ओर उनके भाई शोऐब को भेजा, उन्होंने कहा कि ऐ मेरी क़ौम! अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और नाप–तौल में कमी मत करो, मैं तुम्हें बड़े मज़े में देख रहा हूँ और मुझे तुम पर घेर लेने वाले दिन के अज़ाब का डर है(84) और मेरी क़ौम! इंसाफ़ के साथ नाप–तौल को पूरा करो और लोगों की चीज़ों को कम मत करो और ज़मीन में बिगाड़ मचाते मत फिरो(85) जो अल्लाह का दिया बच रहे वह तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम विश्वास रखते हो और मैं कोई तुम पर निगाह रखने वाला तो हूँ नहीं(86) वे बोले ऐ शोऐब! क्या तुम्हारी नमाज़ तुम्हें यही सिखाती है कि जिसको हमारे बाप दादा पूजते चले आए उसको हम छोड़ दें या अपने मालों में जो चाहें वह करना छोड़ दें? तुम तो बड़े सहनशील भले इंसान हो[2](87) उन्होंने कहा कि ऐ मेरी क़ौम! तुम्हारा क्या ख़्याल है अगर मैं अपने पालनहार की ओर से खुले प्रमाण पर हूँ और उससे मुझे अच्छी रोज़ी मिलती हो (फिर वह तुम्हें सुझाई नहीं देता हो तो क्या मैं ज़बरदस्ती उसको तुम्हारे सिर मढ़ दूँ)[3] और मैं नहीं चाहता कि जिससे मैं तुम्हें रोकता हूँ खुद मैं उसके ख़िलाफ़ करूँ, मैं तो केवल संवारना चाहता हूँ जितना भी मैं कर सकूँ और मुझे तौफ़ीक़ (सामर्थ्य) अल्लाह ही की ओर से मिलती है उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की ओर मैं पलटता हूँ(88) और ऐ मेरी क़ौम! कहीं हमसे तुम्हारी ज़िद तुम्हें इस हद तक न पहुँचा दे कि तुम पर भी उसी जैसी मुसीबत आ पड़े जो नूह की क़ौम या हूद की क़ौम या सालेह की क़ौम पर पड़ी थी और लूत की क़ौम भी तुमसे कुछ दूर नहीं[4](89) और अपने पालनहार से माफ़ी माँगो फिर उसी की ओर पलटो बेशक मेरा पालनहार बहुत ही रहम करने वाला बड़ा ही प्रेम करने वाला है(90) वे बोले ऐ शोऐब! तुम्हारी अधिकतर बातें हमारी समझ में नहीं आतीं और हम तो देखते हैं कि तुम हममें कमज़ोर ही हो और अगर तुम्हारे भाई बन्धु न होते तो हम तुम्हें पत्थरों से मार ही डालते और तुम हम पर बलवान भी नहीं (91) उन्होंने कहा कि ऐ मेरी क़ौम! तुम अपनी जगह काम किए जाओ, और मैं भी कर रहा हूँ, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि अपमानजनक अज़ाब किस पर आता है और क़ौन झूठा है, और तुम भी इन्तिज़ार करो मैं भी तुम्हारे साथ इन्तिज़ार में हूँ[5](93) और जब हमारा आदेश आ पहुँचा तो हमने शोऐब को और उनके साथ ईमान लाने वालों को अपनी रहमत से बचा लिया और चिंघाड़ ने अत्याचारियों को दबोच लिया बस वे अपने घर में औंधे मुँह पड़े रह गये[6](94) मानो कभी वहाँ बसे ही न थे, सुन लो! मद्यन (की क़ौम) को भी धित्कार दिया गया जैसे

समूद धित्कारे गये(95) और हम ही ने मूसा को अपनी निशानियों के साथ और खुले प्रमाण के साथ भेजा[7](96) फ़िरऔन और उसके सरदारों के पास तो उन (सरदारों) ने (मूसा) के बजाए फ़िरऔन की बात मानी जब कि फ़िरऔन की बात ज़रा भी ठीक न थी(97)।

तफ़्सीर (व्याख्या):–

1. सद्दूम की इस आबादी को फ़रिश्तों ने ऊपर उठा कर उलटा पटक दिया कि वह पूरी ज़मीन धंस गई, कहा जाता है कि Dead Sea आज जिस जगह है उसी जगह यह बस्ती आबाद थी, यह धरती का सबसे निचला हिस्सा है, पवित्र कुर्आन ने जो कहा कि ''हमने वह बस्ती ऊपर की नीचे कर डाली'' हो सकता है कि इन शब्दों में उसके भौगोलिक परिवर्तन की ओर भी संकेत हो और इस क़ौम की अति निचली हरकतों को यह महसूस होने वाला रूप दिया गया हो, मक्के के मुश्रिक अपनी व्यावसायिक यात्राओं में वहां से गुज़रते थे इसलिए कहा जा रहा है कि वह ज़ालिमों से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा लगता है ज़ालिमों से आशय मक्के के मुश्रिक हैं।

2. मद्यन बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था जहाँ हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम भेजे गये, हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम की क़ौम ग़लत विश्वासों के साथ साथ धन की हेर–फेर में लिप्त थी, उनकी वही पूंजीवादी मानसिकता थी जो आज भी पाई जाती है कि हमारा धन पूर्ण रूप से हमारी संपत्ति है, हम जो चाहें करें किसी को इसमें हस्तक्षेप की अनुमति नहीं जब कि इसके विपरीत पवित्र कुरआन उसको अल्लाह की सम्पत्ति क़रार देता है जिसको कुछ समय के लिए इंसान के अधिकार में दिया गया है इसलिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गये हैं, और कहां ख़र्च करना है इसको भी बताया गया है ताकि कोई किसी पर अत्याचार न कर सके और समाज में धन का न्यायसंगत वितरण हो सके।

3. ब्रेकेट में जो बात कही गई है वह पहले वाले वाक्य का उत्तर है यहाँ उसका वर्णन नहीं है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में उसका वर्णन है।

4. सद्दूम की बस्ती मदयन के निकट ही है और ज़माने के ऐतबार से भी बहुत दूरी नहीं है।

5. हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम ने जिस शुद्ध भाषा में उनसे बात की वह एक आदर्श है इसीलिए उनको ख़तीबुल अंबिया (पैगम्बरों में सब से अच्छे वक्ता) की उपाधि भी प्राप्त है, उन्होंने दुखती रग पर उंगली रख दी है कि क़बीला, परिवार का दबाव अधिक है और अल्लाह को तुमने पीठ पीछे डाल दिया है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ है।

6. यहाँ हज़रत शोऐब अलैहिस्सलाम की क़ौम का कड़क से विनश्ट (हलाक) होने का उल्लेख है, सूरह आराफ में ''रज्फा'' यानी भूकंप का उल्लेख है और सूरह ''शुअरा'' में छप्पर के अज़ाब का उल्लेख है, इब्ने कसीर लिखते हैं कि तीनों प्रकार के अज़ाब इस क़ौम के लिए इकट्ठा कर दिये गये थे, फिर हर सूरह में संदर्भ के अनुसार एक अज़ाब का उल्लेख किया गया है, विवरण अन्य तफ़सीर की बड़ी किताबों में देखा जाए।

7. वह निशानियाँ और मोजिज़े (इलाही चमत्कार) ही उनकी नुबूवत के लिए खुले प्रमाण के रूप में थे या खुला प्रमाण का अर्थ उन मुअजिज़ों में से ''असा (लाठी)'' है, इसको अलग से इसकी महत्व व महानता की वजह से बयान किया गया।

❖❖❖

प्यारे नबी की प्यारी बातें

मौ0 हकीम सै0 अब्दुल हई हसनी रह0

रिश्तों और नातों को जोड़े रखने का बयान

अल्लाह के रसूल सल्ल0 की शिक्षाः—

हज़रत अम्र बिन उतबा रज़ि0 बयान करते हैं कि मैं नुबुव्वत के शुरू ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास मक्का आया। मैंने उनसे कहा आप कौन हैं? फरमाया— मैं पैगम्बर हूँ, मैंने कहा कि पैग़म्बर क्या होता है? फरमाया— मुझको अल्लाह तआला ने भेजा है। मैंने कहा— क्या दे कर भेजा है? फरमाया— रिश्तों को जोड़ने के लिए और बुतों को तोड़ने के लिए, और यह कि अल्लाह को एक समझा जाए और उसके साथ किसी को साझी न किया जाए। (मुस्लिम)

ननिहाल वालों की मददः—

हज़रत मैमूना बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 की अनुमति के बिना ही एक दासी आज़ाद कर दी, जब मेरे घर आप सल्ल0 की पारी का दिन आया और आप तशरीफ लाए तो मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0! क्या आपको मालूम है कि मैंने एक दासी आज़ाद कर दी, आप सल्ल0 ने फरमाया— क्या तुमने ऐसा किया है? मैंने कहा— हाँ फरमाया— अगर तुम उसको अपने ननिहाल वालों को दे देती तो इसका तुमको बड़ा अज्र मिलता। (बुखारी व मुस्लिम)

नाता और रिश्ता जोड़ने से उम्र में वृद्धिः—

हज़रत अनस रज़ि0 फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया— जो अपनी रोज़ी— रोटी में वृद्धि और बरकत चाहता हो वह नातों और रिश्तों को जोड़े। (बुखारी)

नातेदारी का ख्यालः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल—आस रज़ि0 बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 से धीमी आवाज़ में नहीं बल्कि बुलन्द आवाज़ में कहते सुना है, आप फरमा रहे थे, मेरे दोस्त फुलां खानदान के लोग नहीं, बल्कि मेरा दोस्त अल्लाह है, और सही रास्ते पर चलने वाले मोमिन हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनका नाता और रिश्ता है, मैं उनका ख्याल रखता हूँ।

(बुखारी व मुस्लिम)

दोहरा बदलाः—

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि0 की बीवी हज़रत ज़ैनब सक़फिया रज़ि0 बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया ऐ औरतो! तुम सदका (दान) करो, चाहे अपने ज़ेवर ही में से क्यों न हो, फरमाती हैं कि फिर मैं अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद के पास लौट कर आईं और उनसे कहा कि आप खाली हाथ हैं (गरीब हैं) और अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने हमको सदका करने का हुक्म दिया है, आप जा कर हुजूर सल्ल0 से पूछ लें, अगर आपको मेरा सदका देना सही है तो ठीक, वरना दूसरे लोगों पर खर्च करूं, अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद रज़ि0 ने कहा बल्कि, तुम ही जाओ। वह कहती हैं कि मैं गई और देखती हूँ कि अन्सार में से एक औरत आप सल्ल0 के दरवाज़े पर खड़ी है, उसके आने का मकसद भी वही था जो मेरा था, अल्लाह के रसूल सल्ल0 बारौब (बहुत ही प्रभावशाली) थे, (बात करने की हिम्मत नहीं होती थी) हज़रत बिलाल रज़ि0 निकल कर हमारे पास आए, हमने उनसे कहा आप हुजूर के पास जायें और बता दें कि

दरवाज़े पर दो औरतें खड़ी हैं और आप से पूछ रही हैं कि क्या हम अपने शौहरों और जो यतीम– अनाथ बच्चे उनके संरक्षण में हैं उनको सदका दें तो सही है? और यह न बताइएगा कि हम लोग कौन हैं? हज़रत बिलाल रज़ि0 अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास गये और बताया, आप सल्ल0 ने पूछा वो दोनों कौन हैं? हज़रत बिलाल रज़ि0 ने कहा एक अन्सारी औरत हैं, दूसरी ज़ैनब हैं। आप सल्ल0 ने पूछा कौन सी ज़ैनब? हज़रत बिलाल रज़ि0 ने बतलाया कि अब्दुल्लाह की बीवी। आप सल्ल0 ने फरमाया– उन दोनों को दोहरा अज्र व सवाब है, एक तो रिश्ते का और दूसरा सदके का।

(बुखारी–मुस्लिम)

अल्लाह के रास्ते में पसन्दीदा चीज़ खर्च करनी चाहिएः–

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि मदीने में खुजूरों के बाग के हिसाब से अबू तलहा सब से ज़्यादा मालदार थे और उनके बागों में उनको ''बैरहा'' सबसे ज़्यादा पसन्द था, वह मस्जिदे नबवी के सामने ही था, अल्लाह के नबी सल्ल0 उसमें तश्रीफ ले जाते और उसका मीठा पानी पीते, जब यह आयत ''और तुम जब तक कि उन चीज़ों में से जो तुम को बहुत पसन्द है अल्लाह के रास्ते में न खर्च कर दो भलाई हासिल नहीं कर सकोगे'' उतरी तो हज़रत तलहा रज़ि0 अल्लाह के रसूल सल्ल0 के पास गये और कहा ''ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला का फरमान है– लंतनालुल बिर्र हत्ता तुंफिकू मिम्मा तुहिब्बून'' मेरा सब से ज़्यादा पसन्दीदा माल ''बैरहा'' है, वह अल्लाह के लिए सदका है, मैं अल्लाह के पास उसकी नेकी और ज़खीरे में जमा होने की उम्मीद करता हूँ, आप इसको कुबूल फरमा लें और जहाँ अल्लाह का हुक्म हो वहाँ खर्च करें, अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया क्या ही खूब नफा देने वाला माल है यह। मैंने तुम्हारी बात सुन ली, और मेरा ख्याल है कि तुम इसको अपने रिश्तेदारों को दे दो, हज़रत अबू तलहा रज़ि0 ने कहा मैं यही करूंगा, और फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों और चचा के बेटों में बाँट दिया। (बुखारी)

रिश्तेदारों का ज़्यादा हकः–

हज़रत सलमान बिन आमिर रज़ि0 फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया ग़रीब पर सद्क़ा करना तो सदका है और रिश्तेदारों पर खर्च करने में दोहरा अज्र है। एक सद्का करने का, दूसरा रिश्ता और नाता जोड़ने का। (तिर्मिज़ी)

घर वालों पर सवाब समझ कर खर्च करना चाहिएः–

हज़रत अबू मस्ऊद बदरी रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमाया' मुसलमान अपने घर वालों पर सवाब की नियत से खर्च करे तो वह दान (सदका) है।

(बुखारी व मुस्लिम)

बीवी को खिलाने का सवाबः–

हज़रत सअ़द बिन अबी वक्कास रज़ि0 बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फरमायाः तुम अपने वारिसीन को खाता–पीता छोड़ो यह उससे बेहतर है कि तुम उनको नंगे, भूखे छोड़ो और वो लागों के सामने हाथ फैलाते फिरें। तुम अल्लाह की खुशी के लिए जो कुछ भी खर्च करोगे तुम्हें उसका सवाब मिलेगा, यहां तक कि अपनी बीवी के मुँह में एक निवाला भी रखो तो इसका भी सवाब मिलेगा। (बुखारी व मुस्लिम)

अपनी औलाद पर खर्च करने का सवाब और बदलाः–

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि0 बयान करती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्ल0 से कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल0 बनू सलमा पर खर्च करूँ तो मुझे सवाब मिलेगा? मैं उनको बुरी हालत में नहीं छोड़ना चाहती, वह मेरी ही औलाद है। आप सल्ल0 ने फरमाया तुम उस पर जो कुछ भी खर्च करोगी तुम्हें उस पर अज्र मिलेगा।

(बुखारी व मुस्लिम)

❖❖❖

सम्पादकीय

कुरआन का पैग़ाम

मुहम्मद गुफ़रान नदवी

ख़ुश क़िस्मत और भाग्यशाली है वह इन्सान जिसको अल्लाह तआला ने अपनी किताब कुरआन मजीद के संबंध में ख़िदमत करने का मौक़ा दिया, वह खिदमत विभिन्न प्रकार से हो सकती है, कुरआन का ज़बानी याद करना उसका अनुवाद करना उसकी व्याख्या करना, कुरआन से संबंधित अच्छा संकलन तैयार करके लोगों तक पहुँचाना, और उसको समझने और पढ़ने के लिए लाभदायक और उपयोगी बनाना, इस मुबारक और महत्वपूर्ण काम करने वालों में डॉ0 हाजी मुहीउद्दीन खाँ साहब का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने बड़ी मेहनत और बारीकी से ''तफ़सीर फ़ारूक़ी'' का सार प्रस्तुत किया, अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को संबोधित करते हुए फरमाया ''बल्लिग़ मा उनज़िला इलैक'' (माइदा–67) ऐ नबी सल्ल0 जो ''कलाम'' आप की तरफ़ उतारा गया उसे लोगों तक पहुँचा दीजिए, अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी, अल्लाह के कलाम और उसकी किताब को दूसरों तक पहुँचाने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, इस मुबारक काम में डॉ0 हाजी मुहीउद्दीन खाँ साहब भी शामिल हैं, डॉ0 साहब का सेवा काल अगरचि पशुपालन विभाग में व्यतीत हुआ और उसी विभाग से सेवानिवृत्त हुए लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक़ दी कि वह अल्लाह की किताब कुरआन मजीद को अल्लाह के बन्दों तक पहुचाएं, यह उनकी ज़िन्दगी का बहुमूल्य समय है जो उन्होंने अल्लाह की किताब की ख़िदमत में लगाया जिसके पढ़ने और फ़ाइदा उठाने से लाखों इन्सानों की ज़िन्दगियाँ सुधर जाएंगी जिसके परिणाम स्वरूप उनका रुख़ जहन्नम के बजाए जन्नत की तरफ़ हो जाएगा। ''दो शब्द के अन्तर्गत डॉ0 साहब ने अपना परिचय कराया जिसे पढ़ कर अन्दाज़ा होता है कि अल्लाह तआला का उन पर विशेष फ़जलो करम है जिसकी वजह से अल्लाह ने उनसे इतना अहम काम लिया, सबसे पहले टाइटल पेज पर कुरआन की जिस आयत करीमा का चयन किया गया है वह आयत करीमा ज़ेहन को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। अनुवाद– ''और बेशक हमने कुरआन को समझने के लिए आसान कर दिया है, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?'' (सूरः क़मर आयत नं0 17)

कुरआन अल्लाह की अन्तिम किताब है जो हर समय और हर काल के लिए मार्गदर्शक है, मनुष्य की सफलता और असफलता कुरआन के उपदेश और उसकी शिक्षा पर निर्भर है, यदि उसके अनुकूल वह जीवन व्यतीत करता है तो वह सफल यदि उसके विपरीत जीवन व्यतीत करता है तो वह असफल, कुरआन सीधे रास्ते का मर्गदर्शक है, कुरआन की भाषा में उसको ''सिराते मुस्तक़ीम'' कहा गया है, कुरआन की एक सौ चौदह सूरतें उसी सीधे रास्ते की व्याख्या करती हैं, अतः टाइटल पेज पर यह मुन्तख़ब आयत उचित स्थान पर है, सूरः ''क़मर'' की यह आयत करीमः इंसानों को अल्लाह की किताब पढ़ने और समझने की दावत देती है। डॉ0 हाजी मुहीउद्दीन खाँ साहब की मेहनत और लगन से दिल बहुत प्रभावित हुआ। यह मेहनत तलब काम उस समय तक संभव नहीं, जब तक इंसान का अल्लाह की किताब के साथ

दिली लगाव न हो, यही वजह है कि ''तफ़सीर फ़ारूक़ी का सार'' तैयार करने से पहले डॉ0 साहब ने दसयों अहम तफ़सीरों और कुरआन संबंधित किताबों का अध्ययन किया यह उनकी योग्यता और सलाहियत का प्रमाण है कि उन्होंने ''तफ़सीर फ़ारूकी'' की सात जिल्दों का निचोड़ एक जिल्द में पेश कर दिया, मुहावरे की ज़बान में सागर को गागर में भर दिया, कुरआन इल्म और ज्ञान का ख़ज़ाना है, इससे कैसे फ़ायदा उठाया जाए, डॉ0 साहब ने इसके लिए एक निर्देशिका या गाइड बुक तैयार कर दी, इसका अनुभव करने के लिए आपके सामने क्रमानुसार संकलन के शीर्षक पेश कर रहा हूँः– सबसे पहले शीर्षक क्या आप जानते हैं? के अन्तर्गत 19 नम्बरों पर आधारित वह मौलिक बातें हैं जिनका जानना कुरआन के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार कुरआन का एक विद्यार्थी, सरलता पूर्वक कुरआन का अध्ययन कर सकता है और कुरआन को समझ सकता है।

संकलन का दूसरा शीर्षक ''सज्दे की आयतों के माने'' कुर्आन की यह चौदह आयतें ऐसी हैं जिनको पढ़ने या सुनने के बाद सज्दा करना अनिवार्य है, डॉ0 साहब ने, आयत, पारा और सूरः के संदर्भ के साथ आयत सज्दा के माने भी लिख दिये हैं जो बहुत लाभदायक और उपयोगी हैं।

अंत में कुरआन के एक सौ चौदह सूरतों की विषय सूची दी गई है, इस सूची की विशेषता यह है कि प्रत्येक सूरः का पूर्ण परिचय है, सूरः मक्की है या मदनी, इसका शाने नुजूल क्या है? यदि किसी सूरः में ऐतिहासिक घटनाओं अथवा ऐतिहासिक लोगों का वर्णन है तो उसका भी उल्लेख कर दिया गया है ताकि सूरः को समझने में आसानी हो, एक उत्तम ढंग से ''तफ़सीर फ़ारूक़ी''' का यह सार आपके सामने है जिसको पढ़ कर भलीभांति आप कुरआन को समझ सकते हैं और कुरआन से परिचित हो सकते हैं।

''तफ़सीर फ़ारूक़ी'' के इस सार को कुरआन का तर्जुमा कुरआन का अनुवाद न कह कर कुरआन का पैग़ाम डॉक्टर साहब ने तज़वीज़ किया जिस की वजह वह स्वयं बयान करते हैं ''यह नाम इसलिए रखा कि हक़ीक़त में तो कुरआन का तर्जुमा या अनुवाद कोई कर ही नहीं सकता मगर इसके पैग़ाम की तर्जुमानी की जा सकती है। इसलिए इसका नाम ''कुरआन का पैग़ाम'' रख दिया गया हिन्दुस्तान में बहुत दिनों तक अहले इल्म ने हिम्मत नहीं की कि कुरआन का तर्जुमा या अनुवाद अरबी के अलावा किसी और ज़बान में किया जाए, सबसे पहले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहिद्दिस देहलवी ने ''फतहुर्रहमान'' के नाम से फारसी ज़बान में किया, फिर उसके बाद उन्हीं के घराने में उनके बेटे शाह अब्दुल क़ादिर और शाह रफ़ी उद्दीन ने आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया उसके बाद उर्दू ज़बान में तर्जुमा और तफ़सीर का सिलसिला शुरु हो गया, क़रीब –क़रीब सभी तर्जुमा करने वालों ने शाह रफ़ीउद्दीन साहब के तर्जुमे को आदर्श तर्जुमा माना है, कुरआन मजीद अल्लाह की आखिरी और अन्तिम किताब है जिसको अल्लाह तआला ने अपने आख़िरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए उतारा है।

इस समय दुनिया की तमाम बड़ी और प्रसिद्ध ज़बानों में कुरआन का तर्जुमा और तफ़सीर मौजूद है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली मज़हबी किताब कुरआन मजीद है, कुरआन मजीद किताबी शक़ल के अलावा, लाखों इंसानों के सीनों में महफ़ूज़ है तारीख़ इसकी

शेष पृष्ठ ...18..पर

पिछले अंक से आगे

इस्लामी अक़ीदे (विश्वास)

मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी

आलमे बरज़ख़ः-

सूरह अन्फाल में इरशाद हैः—

अनुवादः— *''और अगर आप देख लें जब फरिश्ते काफिरों की जान निकाल रहे हों उनके चेहरों और पीठ पर मारते जाते हों और (कहते जाते हों) कि जलने के अजाब का मजा चखो, ये नतीजा है तुम्हारे गुजरे हुए करतूतों का और अल्लाह अपने बंदों पर जरा भी जुल्म नहीं करता।''*

(अन्फालः 50-51)

निम्न आयतों में अच्छे और बुरे का जिक्र मौजूद है, नेक लोगों को कैसी खुश खबरियाँ मौत के वक़्त से ही शुरू हो जाती हैं, इरशाद होता हैः—

अनुवादः— *''तो फिर क्यों न जिस समय जान हलक़ को पहुँचती है, और तुम उसको उस वक़्त देख रहे होते हो, और हम तुम से ज़्यादा उससे करीब हैं हालाँकि तुम नहीं देखते, तो अगर तुम किसी के अधीन नहीं हो तो क्यों (ऐसा) नहीं हो जाता, कि तुम उसको लौटा दो (अगर तुम अपनी बात में) सच्चे हो, फिर अगर वो (मरने वाला अल्लाह से) करीब लोगों में हुआ, तो मजे ही मजे हैं और खुश्बू ही खुश्बू है और नेमतों से भरा बाग है, और अगर वो दाईं तरफ वालों में हुआ, तो तेरे लिए सलाम ही सलाम (के नजराने) हैं कि तू दाईं तरफ वालों में है, और अगर वो झुठलाने वालों गुमराहों में हुआ तो, खौलते पानी से (उसकी) खातिर होगी, और (उसे) जहन्नम में डाला जाएगा।''*

(अल-वाकियाः 83-94)

अल्लाह ने अपने करीबी बंदों के लिए मौत के वक़्त में कैसी खुशखबरियाँ रखी हैं, उनको कैसी मुहब्बत भरी ये आवाज सुनाई देती है।

अनुवादः— *''ऐ वो जान जो सुकून पा चुकी, अपने रब की तरफ इस तरह लौट कर जा कि तू उससे राजी, वो तुझसे राजी, बस मेरे खास बंदों में शामिल हो जा, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा।'' (फज्रः 27-29)*

इसी आलमे बरजख की व्याख्या और विवरण हदीस में भी आयी है, एक जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद हैः—

अनुवादः— ''हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फरमायाः जब तुम में से कोई मरता है तो उस पर सुबह व शाम उस का असल मक़ाम पेश किया जाता है, अगर वो जन्नत वालों में होता है तो जन्नत और अगर वो जहन्नम वालों में से होता है तो जहन्नम, फिर उससे कहा जाता है, कि ये तेरा मकाम उस वक़्त मिलेगा जब तू क़यामत के लिए उठाया जाएगा।''

(सहीह मुस्लिम , हदीस नंबर— 7390)

❖❖❖

अनुरोध

अगर आपको ''सच्चा राही'' की सेवायें पसन्द हों तो आप से अनुरोध है कि ''सच्चा राही'' के नये ग्राहक बनाने का प्रयास करें, अल्लाह आपको अज्र देगा और हम आपके आभारी होंगे।

(सम्पादक)

इस्लामी कल्याणकारी व्यवस्थाएं: जनहित के कामों का महत्व

मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी

एक व्यक्ति अपनी जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों का मुहताज होता है, उसी प्रकार की आवश्यकताएं समाज के अन्य बहुत से व्यक्तियों की भी हो सकती हैं। जनकल्याण के काम इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किये जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ सेवाएं तो वे हैं जिनसे समाज की सामान्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उनका लाभ पूरी आबादी या उसके बड़े भाग को प्रत्यक्ष रूप से पहुँचता है। कुछ सेवाएं वे हैं जो समाज की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करती हैं, परन्तु कुल मिला कर इनसे भी पूरे समाज को लाभ होता है। इस्लाम ने दोनों प्रकार की सेवाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

जनकल्याण के काम व्यक्ति भी करते हैं और संस्थाएं भी। बहुत सी सेवाएं कल्याणकारी राज्य के दायित्वों में सम्मिलित हैं। यह अपने साधनों का अधिकांश भाग उन पर ख़र्च करता है। यहां यह बताना ज़रूरी नहीं है कि उनकी सीमाएं क्या हैं, एक का कार्यक्षेत्र कहां समाप्त होता है और कहां दूसरे का शुरु होता है? स्पष्ट है कि साधनों के अनुपात में उनका क्षेत्र घटता और बढ़ता चला जाएगा। इन सबके बीच सहयोग एवं योगदान भी हो सकता है और होना ही चाहिए। इससे उत्तम और हितकारी परिणामों की आशा की जा सकती है।

इस्लाम अपने समस्त आदेशों में मूलतः व्यक्ति ही को संबोधित करता है। इसका कारण यह है कि संस्थाएं हों अथवा राज्य, सबकी बुनियाद व्यक्ति ही है। वही उनके ढांचे की रचना करता है और उनके स्वभाव को बनाता है। इस विषय में भी उसने सर्वप्रथम व्यक्ति को संबोधित किया है।

पवित्रता एवं स्वच्छता की शिक्षा एवं व्यवस्थाः—

हितकारी सेवाओं में से एक सेवा यह भी है कि लोगों में पाकी—सफ़ाई (पवित्रता एवं स्वच्छता) की चेतना जागृत की जाए, उसकी आवश्यकता तथा महत्व ज़ेहन में बिठाया जाए, गन्दगी और मलिनता की हानि स्पष्ट की जाए, और उससे घृणा उत्पन्न कराई जाए। छोटी या बड़ी आबादियों में सफ़ाई की निगरानी की जाए, इस मामले से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए और इस बात का प्रयास किया जाए कि लोग गन्दगी में रहने को बाध्य न हों। इन सब बातों को पश्चिम की देन समझा जाता है। हालांकि इस सिलसिले में इस्लाम ने आदर्श भूमिका निभाई है। वह गन्दगी से घृणा और स्वच्छता से लगाव की भावना तथा उत्साहवर्धन से काम लेता है। वह पवित्रता एवं स्वच्छता का उत्कृष्ट विचार देता है और उसके अनुसार समूचे समाज को तैयार करता है।

मार्ग से कष्ट दूर करनाः—

किसी देश की आर्थिक एवं भौतिक उन्नति में यातायात के साधनों की बड़ी भूमिका होती है। जहां मार्ग साफ़—सुथरे और सुरक्षित हों, यात्रा की कठिनाइयां कम से कम हों और सहूलतें व सुगमता अधिक से अधिक पाई जाएं, वहां उन्नति एवं प्रगति के अवसर भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाते हैं। इसी उद्देश्य से सड़कों और पुलों का निर्माण होता है, ख़तरनाक मार्गों को यात्रा के योग्य बनाया जाता है, मार्ग चिन्ह लगाये जाते हैं, ट्रैफ़िक के नियम बनाए जाते हैं, यात्रा को

दुर्घटनाओं से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया जाता है और यात्रियों को सुविधा एवं आराम पहुंचाया जाता है। आधुनिक युग ने अंतरिक्ष यात्रा के मार्ग खोल दिए हैं। इसकी अपनी ख़ास समस्याएं हैं जिनके समाधान के प्रयत्न भी निरंतर हो रहे हैं।

मार्ग की बड़ी–बड़ी कठिनाइयों और रूकावटों को दूर करना और यात्रा को सरल व सुगम बनाना वास्तव में राज्य का एक बुनियादी दायित्व है। संसार का प्रत्येक कल्याणकारी राज्य इस दायित्व को स्वीकार करता है, परन्तु इसमें व्यक्तियों का सहयोग अत्यावश्यक है। जहां व्यक्ति जागरूक और प्रशिक्षित हों, उनके मन में अल्लाह का डर तथा इन्सानों की भलाई और सहानुभूति की भावना हो, वहां यह काम सरल होता है। अन्यथा अनेक उपायों के बावजूद यात्रा कठिनाइयों से सुरक्षित नहीं हो सकती। क़दम–क़दम पर कष्ट तथा रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कभी यात्री भयंकर दुर्घटना का शिकार भी हो सकता है। इन सब बातों के अनुभव रात–दिन होते रहते हैं।

इस प्रकार की हितकारी सेवाओं के दायित्व का भार इस्लाम के निकट भी राज्य पर ही होता है, परन्तु उसने इस मामले में व्यक्ति को भी सम्मिलित किया है और उसकी भूमिका के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उसने व्यक्ति को जिन जनहित संबंधी सेवाओं की स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी है उनमें से एक यह है कि वह मार्ग को साफ़ और सुगम रखे और उन पर जो रुकावटें एवं बाधाएं हों उन्हें दूर करे। इस विषय की कुछ रिवायतें यहां प्रस्तुम की जा रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

o ''ईमान की सत्तर से अधिक या साठ से अधिक शाखाएं हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ और ऊँची शाखा ''ला इला–ह इल्लल्लाह' (अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं) का कथन है और सबसे छोटी शाखा रास्ते से कष्ट को दूर करना है। लज्जा भी ईमान ही की एक शाखा है। (मुस्लिम)

अल्लाह पर ईमान से व्यक्ति के अन्दर उसके बन्दों को राहत पहुंचाने की भावना जागृत और विकसित होती है। यदि ईमान सही तौर पर दिल में मौजूद हो तो व्यक्ति का प्रयत्न होगा कि उसके द्वारा दूसरों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। इसी का एक छोटा सा पहलू हदीस में बयान हुआ है। कोई भी ईमान वाला व्यक्ति रास्ते में पत्थर, काँटे, कूड़ा–करकट और गन्दगी जैसी चीज़ें जिनसे जनता को कष्ट पहुंचता है, सहन नहीं करेगा बल्कि वह उन्हें हटा देगा।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से उल्लिखित है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

o ''मैंने जन्नत में एक व्यक्ति को चलते–फिरते देखा (जिसका प्रमुख अमल यह था कि) उसने रास्ते में मौजूद एक ऐसा पेड़ काट दिया था जो लोगों को कष्ट दे रहा था।'' (मुस्लिम)

अभिप्राय यह कि उसने लोगों के रास्ते से एक कष्ट देने वाली वस्तु को दूर किया तो उसके लिए जन्नत की राह आसान हो गयी और उसके लिए किसी बाधा के बिना जन्नत के बाग़ों में घूमना संभव हो गया।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

o ''एक व्यक्ति ने राह चलते हुए एक कांटेदार झाड़ी देखी। उसने उसे वहां से हटा दिया। अल्लाह ने उसके इस कर्म को पसन्द किया और उसको बख़्श दिया।'' (मुस्लिम, बुख़ारी)

एक अन्य हदीस में इस प्रकार है–

o ''एक व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था कि उसने रास्ते के बीच में पेड़ की एक बड़ी शाखा देखी। उसने मन में सोचा कि खुदा की क़सम! मैं इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दूंगा ताकि यह उन्हें कष्ट न दे। अतः अल्लाह

ने उसे जन्नत में पहुंचा दिया।''
(मुस्लिम)

ऊपर की हदीस में उस व्यक्ति को जन्नत का हक़दार ठहराया था जिसने एक कांटेदार झाड़ी को काट दिया था जिससे रास्ते में लोगों को कष्ट हो रहा था। परन्तु इस हदीस में रास्ते से केवल एक शाखा के हटाने पर उसकी शुभसूचना दी गयी है। इसका अर्थ यह है कि लोगों के रास्ते से छोटे से छोटे कष्ट दूर करना और उनको साधारण से साधारण लाभ पहुंचाना भी इन्सान को जन्नत जैसी शाश्वत नेमत का हक़दार बना देता है।

हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ि0 ने अल्लाह के रसूल सल्ल0 से निवेदन किया–

o ''आप मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जिससे 'फायदा उठा सकूं'' आपने फरमाया– मुसलमानों के रास्ते से कष्ट दूर कर दो।'' (मुस्लिम, इब्ने माजा)

यद्यपि इन हदीसों में केवल रास्ते का कष्ट दूर करने का उल्लेख है, परन्तु जैसा कि इमाम नववी ने लिखा है, ''इनमें मुसलमानों को लाभ पहुंचाने और उनकी हानि को दूर करने वाले प्रत्येक कर्म की श्रेष्ठता को चिन्हित किया गया है।''
(शरह मुस्लिमः 2/328 भारत में प्रकाशित)

यहां यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि ये हिदायतें मुस्लिम समाज को सामने रख कर दी गयी है, अतः इनमें मुसलमानों के रास्ते से कष्ट (या कष्टदायक चीज़) दूर करने का उल्लेख है। अन्यथा यह एक आम आदेश है। किसी भी इन्सान के रास्ते से कष्ट का दूर करना नेकी और सवाब का काम है। अतः इन्हीं रिवायतों में से कुछ में 'अन्नास' (यानी आम लोग) का शब्द प्रयुक्त हुआ है जो जनसाधारण के लिए है।

''हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 अल्लाह के रसूल सल्ल0 से रिवायत करते हैं–कोई व्यक्ति मार्ग से कष्ट दूर करता है, तो यह भी एक सदक़ा है।'' (बुख़ारी)

रास्ते से कष्ट दूर करने का जो सवाब बयान हुआ है, इस हदीस से इसका स्पष्टीकरण होता है। सदक़े या दान का उद्देश्य विपत्ति में किसी की सहायता करना और उसे राहत व आराम पहुँचाना है। रास्ते से कष्ट दूर करने का उद्देश्य भी यही है कि राही को कष्ट न पहुँचे और वह सकुशल एवं सरलतापूर्वक रास्ते तय करे इस विचार से यह सदक़ा या दान है। (फ़तहुल बारीः 5/70)

रास्ते का कष्ट और बाधाएं हर प्रकार की होती हैं। उनको दूर करना और राह चलना आसान बनाना एक दीनी और धार्मिक काम है और मुसलमान इस पर उत्कृष्ट अज्र व प्रतिदान की आशा कर सकता है।

सराय एवं होटल का निर्माण करनाः–

इसी से मिलती–जुलती सेवा होटलों और सरायों (मुसाफ़िरख़ानों) का निर्माण है, जहाँ यात्रियों को उचित सहूलतें प्राप्त हों और वतन से दूर होने के कारण उन्हें कष्टों का सामना न करना पड़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 की एक रिवायत से उसका अज्र और सवाब तथा श्रेष्ठता स्पष्ट होती है। अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

''मोमिन की मृत्यु के बाद भी जिन कर्मों और नेकियों का सवाब उसे पहुँचता रहता है उनमें ये चीज़ें भी सम्मिलित हैं, वह ज्ञान जो उसने सिखाया और फैलाया, नेक सन्तान जो उसने छोड़ी (क्योंकि उनको नेकी के मार्ग पर डालने में उसकी कोशिशों का दख़ल था) कुरआन शरीफ़ जिसका उसने अपने बाद किसी को वारिस बनाया या जो मस्जिद उसने बनवाई या मुसाफ़िरों के लिए कोई मकान जिसका उसने निर्माण कराया या नहर जो उसने ख़ुदवाई या वह सदक़ा जो उसने अपने माल से स्वस्थ दशा में अपने जीवनकाल में निकाला। इसका प्रतिदान उसे मरने के बाद भी मिलेगा।''

(इब्ने माजा, बैहक़ी)

इस हदीस में जनहित के कुछ विशेष कर्मों का उल्लेख है और उन्हें सदक़ा–ए–ज़ारिया (अनवरत दान) कहा गया है। इनमें यात्रियों के लिए मकान और सराय का निर्माण भी है। एक हदीस से मालूम होता है कि इस प्रकार के कामों में धन ख़र्च करना उत्तम सदक़ा है। हज़रत अबू उमामा रज़ि0 रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने फ़रमाया–

o ''सदक़ों में उत्तम सदक़ा (दान) यह है कि अल्लाह की राह में शिविर (ख़ेमे) छाया उपलब्ध कराई जाए।''

(तिरमिज़ी मुसनद अहमदः 5/270)

इस हदीस में मुजाहिदों के लिए तम्बुओं और छोलदारियों की व्यवस्था करने का सवाब बयान हुआ है, परन्तु इसके तहत शिक्षण–प्रशिक्षण, धर्म के प्रचार–प्रसार तथा हज व उमरा जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र स्थापित करना और भवन निर्माण कराना भी आ सकता है।

पानी की व्यवस्थाः–

पानी जीवन की मूल आवश्यकता है। आधुनिक प्रगतिशील युग में भी साफ़ और स्वच्छ पानी की उपलब्धि एक बड़ी समस्या है। इस्लाम ने इसकी ओर जिस प्रकार ध्यान आकर्षित कराया है उसका अनुमान ऊपर की इस रिवायत से लगाया जा सकता है, जिसमें अल्लाह के बन्दों के लिए नहर के निर्माण को 'सदक़ा–ए–जारिया' (अनवरत दान) कहा गया है।

हज़रत साद बिन उबादा रज़ि0 की माँ का देहांत हुआ तो उन्होंने चाहा कि उनकी ओर से दान पुण्य करें। अल्लाह के रसूल सल्ल0 से पूछा कि कौन–सा सदक़ा सबसे अच्छा है? आपने फ़रमाया कुआं खुदवा दो। तो उन्होंने अपनी माँ के नाम से कुआं खुदवा दिया। (अबू दाऊद)

नहर और कुआं खुदवाना पानी उपलब्ध कराने का एक तरीक़ा है जो प्राचीनकाल से प्रचलित है। वर्तमान युग में ट्युबवेल तथा नल लगाए जाते हैं। हौज़ और टैंक में पानी भर कर वितरित करना भी इसका एक तरीक़ा है। इस प्रकार इसमें पानी उपलब्ध कराने की समस्त योजानाएं आ सकती हैं और वे सब प्रतिदान की हक़दार हैं।

.....जारी.....

❖❖❖

अपने पाठकों से

- सच्चा राही आपको कैसा लगा आप अपनी राय से अवगत करें, हम आपके पत्रों की प्रतीक्षा में रहते हैं। हम आपके सुझाओं का स्वागत करते हैं।
- हम अपने सम्मानित लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सामाजिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, भौगोलिक विषयों पर अपने मूल्यवान लेख लिख कर हमें भेजें, हम आपके शुक्र गुज़ार होंगे।
- आप अपने लेख सरल भाषा में लिखें तथा विषय स्पष्ट हो, जो पाठकों को आसानी से समझ में आ सकें।
- आप सच्चा राही के नये ग्राहक बना कर हमारा सहयोग करें।
- आप अपनी आवश्यक दीनी समस्याएं लिखें हम उनके समाधान लिख कर सच्चा राही में प्रकाशित करेंगे।
- **आप अपने लेख भेजने के लिए उप सम्पादक के नं0 9450784350 का प्रयोग करें।**

E-mail: *jamalnadwi123@gmail.com*

हज़रत मौलाना सय्यद मु0 राबे हसनी नदवी रह0
एक नमूना, एक मिसाल

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी

नबी करीम सल्ल0 से एक मौक़े पर किसी ने पूछा कि लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो आप सल्ल0 ने फरमायाः जिसकी उम्र लंबी हो और काम उसके अच्छे हों। हज़रत मुर्शिदुल उम्मत को अल्लाह तआला ने अच्छी उम्र दी, और अच्छी उम्र के साथ काम के विभिन्न मैदान दिये और हर मैदान में अच्छे ही काम की तौफीक़ दी, सेहत व आफियत के साथ देखने, सुनने, बोलने और याददाश्त के साथ साथ इस उम्र में हाजिर दिमागी, मामले की सूझबूझ, नज़ाकतों का ख्याल, परिणामों पर गहरी नज़र इसको अल्लाह का फज़्लो करम ही कहा जा सकता है, उनकी ज़िन्दगी मे पेश आने वाली घटनाएं और उन घटनाओं पर ख़ुदा की तरफ़ से आने वाली मदद इस बात का सुबूत है कि वह ''वली'' थे और उनकी मदद का इंतजाम अल्लाह की ओर से हो रहा था।

हज़रत मुर्शिदुल उम्मत रह0 की ज़िन्दगी एक खुली किताब थी खुली भी और आसान भी, हर व्यक्ति उसको पढ़ और समझ सकता था, उसमें न कोई शब्द गायब था, न अस्पष्ट, एक एक नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट, कमज़ोर निगाह ही का शिकार होगा जो उसको न पढ़ सके और न समझ सके, यह वह किताब थी जिसको आम जन मानस ने भी पढ़ा, विशिष्ट जनों ने भी उसको समझा, दोनों पर उसका असर पड़ा, अवाम उनके अख़्लाक़ा उनकी मुहब्बत, उनकी दयालुता, उनकी सादगी और दूसरों के साथ उनके ख़ैरख्वाही के भाव से प्रभावित हुए, और विशिष्ट जन उनके इल्म व फन और उनकी बुद्धिमता और उनकी कार्य पद्धति से प्रभावित हुए बगैर न रह सके।

वह ईमान व अमल वाले थे इसका सुबूत उनके जनाज़े ने दिया, अल्लाह का इरशाद हैः बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक काम किये तो अल्लाह उनकी मुहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है।

उनकी पूरी ज़िन्दगी तक़्वे वाली थी और सब्र तो गोया उनकी बुनियादी सिफ़त थी इसकी गवाही अपनों ने भी दी और दूसरों ने भी, जिन जिन हालात से अल्लाह तआला ने उन्हें गुज़ारा, न तक्वे का दामन हाथ से छूटा और न सब्र की बुलंदी से वह नीचे उतरे, तभी तो वह मकाम व मर्तबा मिला जिस पर दुनिया आज रश्क करती है, और यह मकाम व मर्तबा बगैर चाहत, बगैर कोशिश के मिले। अल्लाह का इरशाद हैः जो तक्वे के साथ ज़िन्दगी गुजारता है और सब्र से काम लेता है तो अल्लाह अच्छे काम करने वालों के अज्र को जाए नहीं करता।

वह बड़े अल्लाह वाले, बड़े परहेज़गार थे, शालीनता और संवेदनशीलता में तो अपनी मिसाल आप थे, बोलने और लिखने में एहतियात इतना था कि ज़बान से कभी कोई ऐसा शब्द न निकलता जिस पर पकड़ हो सके, लिखने में भी ऐसा कोई शब्द न आता जिस पर उंगली उठ सके, वह इतने विनम्र थे कि उसकी कल्पना करना कठिन है।

एक तालिबे इल्म आपके पाँव दबाने बैठ गया, आपने मना किया, वह न जाने क्या समझा उठ कर चला गया, आपको एहसास हुआ कि शायद यह बात उसको नागवार लगी, और यह एहसास इतना बढ़ा कि भाई ऐनुल हसन प्रतापगढ़ी को भेजा कि उस छात्र को तलाश कर के लाएं, जब वह छात्र आया तो मौलाना ने क्षमा चाहते हुए कहा कि शायद आपको मेरी बात नागवार गुज़री, माफॅ कीजिगा, मैंने तो आपसे बैठने के लिए कहा था, जाने के लिए नहीं।

आप बीमार थे, कमज़ोरी ज़्यादा थी सीने में भी तकलीफ़ थी, एक साहब आये, सलाम किया, कुछ देर खड़े रहे और फिर चले गये, कमज़ोरी और तकलीफ ज़्यादा होने की बिना पर आप उनसे कुछ कह न सके, कुछ दिनों बाद जब वह साहब फिर आये तो मौलाना ने कहा माफ कीजिएगा, उस दिन आप आये थे, आपसे बैठने के लिए न कह सका, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा थी कि बोलना भी मुश्किल था।

अल्लाह की नाराज़गी और पकड़ का डर इतना सवार रहता था कि किसी भी पल यह ख्याल उनके दिल से न निकलता था और यही वह ख़्याल था जो हमेशा उनकी ज़बान की हिफाज़त करता था।

एक बार मैंने उनसे जाकर कहा, फुलां साहब से आप इस तरह मिलते हैं और इतना उनका ख़्याल रखते हैं और वह इस तरह आप के बारे में बातें कर रहे थे, और यह कहते कहते मेरे मुँह से कुछ सख़्त बातें उनके लिए निकल गयीं, मौलाना एक दम से संजीदा हो गये, और सख़्ती के साथ बोले कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें अपनी जुबान का हिसाब देना है, उनको अपनी जुबान का, तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो, यह सुनना था कि जैसे मेरे ब्रेक लग गया और आज भी उनका यह शब्द, यह नसीहत सामने आ कर खड़ी हो जाती है, जब भी ज़बान तेज़ चलने लगती है तो ज़बान को स्वयं लगाम लग जाती है।

यह उनकी नर्मी और मुरव्वत की ही बात थी, हम जैसे छोटे भी उनके सामने खुल कर अपना पक्ष या अपनी राय रख दिया करते थे, और वह पूरी तवज्जो के साथ उसको सुनते थे, उसके अच्छे पहलू की सराहना करते और अगर उसमें खराबी या नुक़सान का अंदेशा होता तो बड़ी नम्री से समझा देते।

वह कभी इस तरह टोका टाकी नहीं करते थे कि किसी को बुरा लगे या अपनी इंसल्ट का एहसास हो, या उसे यह लगे कि टोकने वाला अपने को सुपर समझ रहा है, और सामने वाले को कम और घटिया, क्योंकि ऐसे में नसीहत का असर उलटा पड़ता है स्वयं उन्होंने अपनी कम उम्री का एक वाक़िआ अपने खादिम ऐनुल हसन नदवी को समझाते हुए सुनाया कि एक मर्तबा उनके एक साथी ऐसे समय नमाज़ पढ़ रहे थे जो नमाज़ का समय नहीं था, उन्होंने टोकते हुए कहा तुम इस समय नमाज़ पढ़ रहे हो यह तो मुनाफिकों की नमाज़ का समय है, जवाब में उन्होंने कहा कि आपको आपका ईमान मुबारक हो मैं मुनाफिक़ ही सही।

मेरे वालिदे मोहतरम यानी (मौलाना वाजेह रशीद हसनी नदवी रह0) के इंतेक़ाल के बाद उनकी एक बड़ी विशेषता यह बताई कि वह इख़्तिलाफ करते थे मुखालफत नहीं करते थे और इख़्तिलाफ और मुखालफत में बड़ा अंतर है, इख्तिलाफ से बात बनती है, संवरती है, कमियाँ और खामियाँ दूर होती हैं और मुखालफत से बात बिगड़ती है और दूरी बढ़ती है,

और ज़िद और हटधर्मी पैदा होती है।

वह बहुत ही जहीन और समझदार थे, एक एक चीज़ को समझते थे एक एक आदमी को पहचानते थे, जब उनके सामने मसायल लाये जाते, हालात के सिलसिले में चिंता व्यक्ति की जाती और मसअले का हल लोगों की समझ में न आ रहा होता तो वह अपनी दो मिनट की गुफ़्तगू से चुटकियों में हल फरमा देते, उनके अंदर बेपनाह मुरव्वत थी लेकिन दीन के मामले में, शरीअ़त के मामले में, अक़ीदे के मामले में वह एक चट्टान से ज़्यादा सख़्त हो जाते थे, और उनकी इस मज़बूती से दूसरों को ताक़त मिलती थी।

उनकी बे नफ़्सी (निस्वार्थता) का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब का इंतेकाल हुआ तो मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0 ने जो मौलाना राबे हसनी नदवी के भतीजे थे और दामाद भी, उनसे कहा कि नमाज़े जनाज़ा आप पढ़ाऐं लेकिन हज़रत मौलाना इस पर तैयार नहीं हुए और उनसे कहा हम इस लायक नहीं कि मामूँ जान की नमाज़े जनाज़ा पढ़ा सकें, यह हक तुम्हारा है लेकिन मौलाना सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0 के बार बार अनुरोध पर मजबूरन तैयार हुए और नमाज़ पढ़ाई, इसी प्रकार मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0 ने आप से अर्ज किया कि आप तकिया रायबरेली में उस कमरे में रहा करें जिसमें मौलाना अली मियाँ रह0 रहा करते थे, क्योंकि आप उन के जांनशीन हैं लेकिन मौलाना इस पर बिल्कुल तैयार न हुए, और यही कहते रहे कि नहीं, उनके जाँनशीन तुम हो, यह तुम्हारा हक़ है, और जब भी कोई उनसे बैअ़त (दीक्षा) का तअल्लुक़ कायम करने के लिए आता तो वह मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी का नाम बताते और उनसे बैअ़त करने को कहते।

मौलाना का तअल्लुक़ ज़मीदार घराने से था, ज़मींदार घराने से तअल्लुक़ हो, खेत भी हों और बागात भी, और ज़मीन से दिलचस्पी न हो ज़मीन का अपनी बैठकों में जिक्र न हो, यह बात सोचने वाली है, लेकिन मौलाना का मामला कुछ ऐसा ही था, न खेत का तज़किरा न बाग का, यहाँ तक कि घर में भी कोई बात ऐसी नहीं करते थे, वह बात सिर्फ दीन की करते थे, वह सिर्फ समाज सुधार, और दीन की ओर लोगों को बुलाने की बात करते थे या समाज की दिशा व दशा पर अपनी चिंता जाहिर करते, या फिर क़ौम के नई नस्ल की शिक्षा दीक्षा के सम्बन्ध में हिदायात देते।

❖❖❖

पृष्ठ ....10....का शेष

गवाह है कि जब इंसानों ने कुरआनी शिक्षा और कुरआनी आदेशों पर अमल किया तो वह इज़्ज़त और बलन्दी के मुक़ाम पर पहुँचे और जब इससे दूरी इख़्तियार की और उसे छोड़ दिया तो वह ज़िल्लत व तबाही के गढ़े में गिर गये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फ़रमान है:—

''अल्लाह तआला इस किताब के ज़रिये से बहुत से लोगों को बुलन्दियाँ अता फ़रमाता है और इसी की वजह से कुछ लोगों को पस्ती में ढकेल देता है''।

(सही मुस्लिम हदीस नं0 1897)

वह मुअज़्ज़ज थे ज़माने में मुसलमां हो कर।
और तुम ख़्वार हुए तारिके कुरआँ हो कर।।

तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुजूले किताब।
गिरह कुशा है न राज़ी न साहिबे कश्शाफ़।।

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे

शरई क़ानून और इंसानी क़ानून में अन्तर

मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी

इस्लामी क़ानून की दूसरी खुसूसियत ये है कि वो अल्लाह तआला की बनाई हुई प्रकृति पर आधारित है, लिहाजा कुरआन मजीद ने इस्लाम को प्राकृतिक कानून का अनुवादक और मुखपत्र करार दिया हैः अनुवाद– ''ये वो प्राकृतिक कानून है जिस पर अल्लाह तआला ने लोगों को पैदा किया।'' (सूरः रूम–30) और कहा कि शैतान लोगों को प्रकृति से बगावत पर उकसाता रहता है। (निसाः 119) और ये भी एक हकीकत है कि प्राकृतिक व्यवस्था पर क़ायम रहने में भलाई है और प्राकृतिक व्यवस्था से हट जाने में इंसान का नुकसान है, अल्लाह तआला ने जिस्म को साफ करने और ठंडा करने के लिए पानी पैदा किया, और किसी चीज को गर्म करने और पकने के लिए आग पैदा की, अब अगर कोई शख़्स आग में नहाने लगे और ठंडे पानी पर पकाने लगे तो क्या वो अपने मकसद को हासिल करने में कामयाब होगा

अफसोस कि पश्चिमी जगत विज्ञान व टेक्नॉलोजी में चन्द्रमा और मंगल ग्रह पर पहुँच रहा है और उसने ऐसे हथियार बना लिए हैं कि वो क्षण भर में पूरे पूरे देश को तबाह कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी कामवासना और इच्छाओं के सामने इतने कमजोर हैं कि एक चीज को हानिकारक जान कर भी उसको करता है, क्यों कि मन उसी को चाहता है, पूरा चिकित्सा जगत इस बात पर एक मत है कि शराब और नशीले पदार्थ इंसान के लिए बेहद हानिकारक हैं और विभिन्न प्रकार की बिमारियों के कारण हैं, इससे कैंसर पैदा होता है, इंसान की शारीरिक शक्ति प्रभावित होती है, उम्र घट जाती है, नशे की हालत में निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, जो बात होशो हवास की हालत में इंसान जबान पर लाना भी गवारा नहीं करता, वही बातें वो नशे की हालत में बेझिझक और सरे आम चीख चीख कर बोलता रहता है, बूढ़ों, बच्चों, औरतों, और दोस्तों पर हाथ उठाने और उनको गाली गलौज करने से भी नहीं बचता, कितने ही कत्ल और बलात्कार की घटनाएं नशे की वजह से घटती हैं, इसलिए कुरआन मजीद में और तौरेत में भी नशे को हराम करार दिया गया है, लेकिन शराब से हजार नुकसानात और उन नुकसानात को मानने के बावजूद आज पश्चिमी देशों और उन सारे देशों में शराब की खुली इजाजत है, जहां कानून की लगाम इंसानों के हाथ में है।

इंसानी समाज में हमेशा से ये बात मानी जाती रही है कि यौन संबंध का सही तरीका यही है कि वो मर्द व औरत यानी पति पत्नी के बीच रिश्ते से पूरा किया जाए, लेकिन मौजूदा दौर में पश्चिम के वासनावादी समाज ने इस बात की मांग की कि मर्द व औरत में से हर एक को समलैंगकि संबंध से यौनेच्छा पूरी करने की इजाजत दी जाए और सरकारों ने इसके सामने अपना सिर झुका दिया, यहां तक कि अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसको बुरा भला कहा जाता है, इसी तरह हमेशा से इंसानी समाज इस बात को स्वीकार करता रहा है कि शरीर का एक विशेष भाग मर्दों की यौनेच्छा को पूरा करने के लिए है, और वो औरत के शरीर के सामने का भाग है, शरीर का पिछला भाग दूसरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए है, लेकिन जब इंसान प्रकृति का बागी बन जाता है तो शहवत परस्ती (वासनावाद) की सभी सीमाएं टूट जाती हैं, पश्चिम में इसको भी सही घोषित करने की मांग की गई और अधिकांश देशों ने इसे स्वीकार कर लिया और अब तो ऐसे दुष्ट लोगों को अपने पाप जाहिर करने में कोई शर्म भी नहीं।

इस्लाम किसी भी ऐसे काम को स्वीकार नहीं करता, जो प्रकृति के खिलाफ हो, चाहे सारे लोग मिल कर उसको वैध करार देने की कोशिश करें, इंसानी ज़िन्दगी के सभी क्षेत्रों से संबंधित शरीयत की शिक्षाओं में ये नियम काम करता है, मिसाल के तौर पर इस्लाम ने व्यवसाय कर के और कारोबार में पार्टनर बन कर लाभ हासिल करने की इजाज़त दी है, लेकिन ब्याज और जुआ की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि ब्याज में ये बात मान ली जाती है कि माल में खुद बखुद बढ़ने की योग्यता है, इसलिए अगर कोई शख़्स कर्ज हासिल करे तो उसको ज़रूर उस पर ब्याज देना चाहिए, ये बिकुल प्रकृति के खिलाफ है, अगर आप अपने सूटकेस में एक लाख रूपये रखें और एक साल बाद सूटकेस खोलें तो एक लाख रूपये ही निकलेंगे एक लाख दस हजार नहीं हो जाएगा, इसलिए अगर आप किसी को एक लाख रुपये इस अनुबंध पर दें कि वो व्यवसाय करे और निवेशकर्ता को लाभ व हानि में साझी रखे, लाभ हो तो लाभ दे और नुकसान हो तो नुकसान बरदाश्त करने में भी वो साथ रहे, तो ये बिलकुल प्रकृति के अनुसार होगा, लेकिन ये बात कि ये राशि अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करें या न करें, हमें हर हाल में इतना लाभ दे दें, स्पष्ट है कि व्यवसाय की प्रकृति के विरुद्ध है।

खुलासा ये कि इस्लामी शरीयत और इंसानों के बनाये हुए कानूनों में दूसरा अहम फर्क़ ये है कि शरीयत का क़ानून प्रकृति के अधीन होता है, इंसान की इच्छाओं के अधीन नहीं होता, और इंसान जब क़ानून बनाने बैठता है तो बहुत बार प्रकृति के विरुद्ध मांगों को कुबूल कर लेता है, चाहे वो आख़िरत ही में नहीं दुनिया में भी इंसान के लिए बेहद हानिकारक और विनाशकारी हो।

तीसरा बुनियादी फर्क इस्लामी क़ानून और पश्चिमी संवैधानिक दृष्टिकोण (जिसका इस दौर में पूरी दुनिया पर राज है) के बीच ये है कि इस्लाम बुनियादी तौर पर न्याय का पक्षधर है न कि बराबरी का, हां जहाँ बराबरी और समानता न्याय के तकाजों में शामिल हो, वहां बराबरी और समानता का भी हुक्म देता है, इसीलिए कुरआन मजीद में फरमाया गया कि अल्लाह तआला न्याय और एहसान का हुक्म देता है, (नह्लः 9) और कुरआन मजीद में अलग अलग अंदाज से 29 जगह न्याय व इन्साफ पर प्रेरित किया गया है, कम्युनिस्ट जगत ने मालिक और मज़दूर के दरम्यान बराबरी का और आर्थिक समानता का नारा लगाया था, जो प्रकृति के खिलाफ था, इसलिए वो चल नहीं सका और जिस भूभाग में इस विचार का जन्म हुआ था, वहीं सत्तर साल के अंदर दफन हो गया, इसी तरह पश्चिमी जगत मर्द व औरत के दरम्यान बराबरी का नारा लगाती है और इसको अपनी प्रगतशीलता का शीर्ष स्थान समझती है, अगर औरत को एक ही पति पर संतोष करना है तो मर्द को भी एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और अगर मर्द को इसकी इजाज़त दी जाती है तो औरत को भी एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध की इजाज़त होनी चाहिए, वैवाहिक सम्बन्ध खत्म करने का अधिकार मर्द व औरत दोनों को बराबर होना चाहिए, विरासत की तकसीम में बेटा और बेटी का हिस्सा बाराबर होना चाहिए, मर्द ही की तरह औरत को भी कमाने की मुकम्मल इजाज़त होनी चाहिए, अगर मर्द पर पर्दा की पाबंदी नहीं है तो औरत पर क्यों? यहाँ तक कि अब कुछ देशों में ये माँग की जा रही है कि अगर सार्वजनिक स्थलों पर मर्दों को सीना खुला रखने की इजाज़त है तो औरतों को सीना छुपा कर रखने की पबन्दी क्यों? इसी विचार की पैदावार लिव इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के शारीरिक संबंध, शिक्षा व रोजगार, खेल और सफर हर जगह मेलजोल की इजाज़त है।

कोई भी शख़्स बिना पक्षपात के सामंत और बराबरी के इस तमाशे को देखेगा तो वो महसूस करेगा कि ये इंसानियत के लिए भ्रामक और विशेष रूप से औरतों

के लिए बड़ा धोखा है, समानता के इस सोच ने पारिवारिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर के रख दिया, औरत को व्यावसायिक सामग्री और प्रचार का साधन बना दिया, औरत की इज़्ज़त व आबरू जिस तरह इस सोच की वजह से रौंदी जा रही है, शायद ही मानव इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो, अगर वास्तविकता के साथ इस पर विचार किया जाए तो संसार के बनाने वाले ने अपनी इस दुनिया को समानता के नियम पर नहीं बनाया है, उसने बहुत सी चीजों में निश्चित रूप से समानता रखी है, मगर ज़्यादातर अंतर के साथ चीज़ें पैदा की हैं, हर इंसान के दो हाथ, दो पावों, दो कान और दो आँखें, ज़रूर दी गई हैं, लेकिन शारीरिक ऊर्जा, दिमाग की योग्यता, बोलने और अभिव्यक्ति की छमता, और बहुत सी चीजों में उनके दरमयान फर्क भी रखा गया है, इसी तरह मर्द व औरत के दरमयान, यक़ीनन बहुत सी चीज़ों में समानता है, लेकिन इससे कोई शख़्स इंकार नहीं कर सकता है कि उन में बहुत से कोणों से अंतर भी पाया जाता है, जो क़दम क़दम पर ज़ाहिर भी होता है, उनको नज़रअंदाज कर देना खुद औरत के साथ भी जुल्म होगा और ये बात प्रकृति के खिलाफ होगी, अगर कोई शख़्स समानता के नियम पर अपने दस साल के बच्चे और बीस साल के लड़के को एक खुराक दे तो क्या ये लाभ दायक और न्यायसंगत अमल हो सकता है? अगर दस साल के बच्चे, पच्चीस साल के जवान और साठ साल के बूढ़े को एक बराबर वजन उठाने को कहा जाए इसमें कोई बुद्धिमता हो सकती है?

इस्लाम का विचार ये है कि हर इंसान की ताक़त और योग्यता के ऐतबार से उसकी ज़िम्मेदारियाँ हों और ज़िम्मेदारियों के लिहाज से उस के अधिकार हों, मिसाल के तौर पर पारिवारिक जीवन में बेटी के मुकाबले में बेटे की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, अपनी ज़िम्मेदारी, अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी, बीवी की ज़िम्मेदारी, बूढ़े माँ बाप की ज़िम्मेदारी, बीवी का महर, और करीब करीब सभी माली जिम्मेदारियाँ बेटे या मर्द पर रखी गई हैं, औरत पर कोई माली जिम्मेदारी नहीं रखी गई है, अब अगर समानता पर अमल किया जाए तो दोनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए और न्याय व इन्साफ़ का लेहाज किया जाए तो बेटे का हिस्सा बेटी के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए, शरीयत ने इसी दूसरे पक्ष के लेहाज किया है, इस हकीकत को नज़रअंदाज करने की वजह से कुछ लोगों को ग़लतफहमी पैदा होती है, और उनको लगता है कि इसमें लड़की के साथ अन्याय किया गया है।

एक मर्द खुद अपनी हिफाजत कर सकता है और अपने साथ होने वाले उत्पीड़न का मुकाबला कर सकता है, लेकिन एक लड़की अपनी शारीरिक योग्यता के लिहाज से अक्सर ऐसा नहीं कर पाती और उसको किसी दूसरे मर्द की तरफ से सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए शरीयत ने पर्दे को मर्द व औरत दोनों के लिए रखा है, लेकिन औरत के लिए इसकी मात्रा ज़्यादा रखी गई है, घर से निकलने की इजाज़त आवश्यकतानुसार दोनों को दी, लेकिन औरत के लिए शर्त रखी गई कि लम्बे सफर में रक्षक के तौर पर उसका पति या कोई मर्द महरम रिश्तेदार साथ रहे, कि न इस में औरतों की अवमानना है और न उनके साथ अत्याचार, बल्कि उनका अधिक और विशेष ख़याल है।

ये कुछ वो बुनियादी फर्क हैं, जो अल्लाह के भेजे हुए कानून और इंसान के बनाए हुए कानून के दरमयान साफ तौर पर महसूस किये जा सकते हैं, और जिनको सामने रख कर अंदाजा किया जा सकता है कि इस्लाम इंसानी समाज को ज़िन्दगी गुज़ारने का कितना बेहतरीन, लाभदायक और प्राकृतिक लाइफ स्टाइल देता है और उसके मुकाबले पश्चिम ने जो नारा लगाया है, वो किस हद तक खोखला और बे वजन है।

❖❖❖

पिछले अंक से आगे

भारत के अतीत में

मुस्लिम शासकों की धार्मिक निष्पक्षता

सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान

ग़यासुद्दीन बलबन के ज़माने की उदारताः–

ग़यासुद्दीन बलबन (1265–1287) के ज़माने तक आते आते तो सम्बन्धों में खुशगवारी पैदा हो गयी थी। उसी युग की प्रजा–प्रेम, न्यायप्रियता और उदारता का अनुमान संस्कृत के उस शिलालेख से भी होता है जो पालम में पाया गया और दिल्ली के पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में मौजूद है। उसमें तिथि 1337 विक्रमी तद्नुसार 1280–81 लिखा हुआ है। इसमें सुल्तान ग़यासुद्दीन बलबन के सम्बन्ध में है कि इस बादशाह की हुकूमत शानदार और प्रशंसनीय है। इस बादशाह की सेवा में जो अनेक राजा आते जाते हैं। उनके मुकुटों से गिरे हुए जवाहरात की चमक–दमक खुल जाने से सारा देश जगमगा रहा है। जब उस शान वाले सुल्तान ने दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लिया है, दुनिया को अपने सहारे रखने वाले शेषनाग धरती के बोझ से मुक्त हो गये हैं और विष्णु भगवान उनकी देखरेख का विचार छोड़ कर और सन्तुष्ट हो कर दूध के समुद्र पर आराम कर रहे हैं। इस सुल्तान के न्याय के युग में दिल्ली का शहर खुशहाल और सम्पन्न है।

यह शहर धरती माता की तरह अनगिनत जवाहरात का भण्डार है, स्वर्गधाम की तरह आराम और आनन्द का ठिकाना है, पाताल की तरह ताकतवर दैत्यों का आवास है, और माया की तरह आकर्षक और रिझाने वाला है।

हिन्दू राजाओं का सम्मानः–

उपरोक्त अभिलेख से स्पष्ट है कि बलबन के दरबार का सौन्दर्य और श्रृंगार बढ़ाने में हिन्दू राजाओं का भी योगदान था। स्वयं ज़ियाउद्दीन ने बलबन के विवरण में लिखा है:

''दूर–दूर के शासकों के प्रतिनिधि और बड़े–बड़े राजा महाराजा और सरदार आते थे और ज़मीन चूमते थे।''

बलबन जब तुग़रल के विद्रोह के लिए खनौनी गया तो राय दनौज ने तुग़रल के विरुद्ध उसकी हर तरह से सहायता की। राय दनौज जब उससे मिलने आया तो तारीख़ मुबारक शाही के लेखक का कथन है कि वह राय दनौज से बहुत सम्मान के साथ मिला।

''जब वह पहुँचा तो उसका बहुत अधिक सम्मान किया।''

इन पंक्तियों के लेखक का यह विचार है कि दिल्ली के सुल्तानों के ज़माने में हिन्दू राजा दरबार से अलग रहने की बजाए उससे निरन्तर जुड़े रहे लेकिन उस समय के इतिहासकारों ने उनका उल्लेख इस तरह से नहीं किया है जिस तरह उनका मुग़लों के ज़माने में हुआ।

जैसे बलबन के उत्तराधिकारी मुइज़ुद्दीन कैक़बाद के दरबार के हिन्दुओं का उल्लेख अमीर खुसरों ने किरानुस्सअदैन में किया।

रावत से यहाँ तात्पर्य संभवतः राजपूत ही हैं। मुइज़ुद्दीन क़ैक़बाद के बाद करह के मलिक छज्जा और जलालुद्दीन खिलज़ी से युद्ध हुआ तो कोतला के परमदेव और राय भीमदेव ने मलिक छज्जा का साथ दिया।

अलाउद्दीन खिलज़ी के शासनकाल में हिन्दू राजाओं का मान–सम्मानः–

और यह अध्ययन करके आश्चर्य होता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलज़ी (1294–1316) ई0 ने दक्षिण भारत पर विजयप्राप्त की तो उन क्षेत्रों के युद्धों के मामले में हिन्दू राजाओं का सहयेाग भी रहा। अलाउद्दीन खिलज़ी ने 1294 ई0 में देवगीर पर विजय प्राप्त की और उसका राजा रामदेव अलाउद्दीन खिलज़ी का हर तरह से वफ़ादार रहा। उसके बेटे भीलम ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया तो उसने अलाउद्दीन खिलज़ी से सहायता माँगी। 'फुतुहुस्स सलातीन' में असामी ने रामदेव का उल्लेख 'सरफ़राज़ हुनूद' (सफल और सम्मानित हिन्दू) और 'बन्द–ए–खास दरगाहशाह' लिख कर किया है। रामदेव ने जिस तरह मदद माँगी और फिर यह जिस तरह दी गयी। उसको असामी जिस तरह बयान करता है, उससे यह भी अनुमान होगा कि रामदेव सुल्तान अलाउद्दीन खिलज़ी को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

मलिक काफूर के नेतृत्व में यह सेना देवगीर की ओर भेजी गयी और वहां उसको विजय प्राप्त हुई। असामी का कथन है कि उसके बाद रामदेव अलाउद्दीन खिलज़ी के दरबार में आया तो उसका भय स्वागत किया गया। इस पर मोती न्यौछावर किए गये, दो लाख तिनके उपहार में दिए गए। राय रायान की उपाधि दी गयी और कुछ दिनों के बाद उसको चतर (छत्र) भी दिया गया।

और जब 1309 ई0 में दिल्ली से काफूर की फ़ौज वरंगल की ओर बढ़ी तो रामदेव ने शाही फ़ौज की हर तरह से मदद की, यह फ़ौज देवगीर होती हुई वरंगल पहुँची तो रामदेव ने बढ़ कर उसका स्वागत किया, मलिक काफूर और उसके सरदारों की सेवा तरह–तरह से की, प्रतिदिन सेना की देखभाल के लिए आता। उसके लिए खाने–पीने की चीज़ें उपलब्ध किया। देवगीर का बाज़ार खोल दिया, दुकानदारों को आदेश किया कि वह अपनी चीज़ों को सस्ते मूल्य पर बेचें, जब सेना देवगीर से आगे बढ़ी तो रामदेव ने अपने आदमी वरगंल तक साथ कर दिए कि वह सेना को खाने पीने की चीज़ें, गल्ला और दूसरी चीज़ें उपलब्ध कराते रहें और सेना से पूरा सहयोग करें। उसने मलिक काफूर की छतरी ले कर चलने वाले लाल की सुरक्षा के लिए मराठा घुड़सवार सेना और पैदल सेना को भी नियुक्त किया। स्वयं मलिक काफूर को विदा करने दूर तक गया, मौलाना ज़ियाद्दीन बरनी जो काज़ी मुग़ीसुद्दीन के निर्देश के समर्थक थे, रामदेव के आज्ञापालन, वफ़ादारी और शुभचिन्तक का व्यवहार करने पर प्रभावित हो कर लिखते हैंः

''लोग कहते हैं कि किसी सज्जन या पुत्र को कोई काम दिया जाता है तो उसका वही नतीजा निकलता है जो रामदेव से बरामद हुआ।''

मौलाना ज़ियाउद्दीन बरनी ही का बयान है कि रामदेव अन्तिम समय तक अलाउद्दीन खिलज़ी का शुभचिन्तक रहा। (पृ0 326) असामी की रिवायत के अनुसार रामदेव की एक बेटी सुल्तान अलाउद्दीन खिलज़ी के हरम (पत्नियों में) में भी सम्मिलित हो गयी थी और उससे शहाबुद्दीन खिलज़ी पैदा हुआ जिसको अलाउद्दीन खिलज़ी की मृत्यु के बाद मलिक नायाब काफूर ने कुछ दिनों तक राज गद्दी पर बैठाया।

सन् 1312 ई0 में शहज़ादा खिद्र खाँ का विवाह अलप खान की बेटी से हुआ तो उस समारोह

में रामदेव को भी आमन्त्रित किया गया, वह अन्य हिन्दू राजाओं के साथ उसमें सम्मिलित हुआ, जैसा किफुतुहुस्सलातीन में लिखा है।

उसी वर्ष अर्थात 1312 ई0 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलज़ी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में धूर समुद्र भी एक सेना भेजी तो राय रायान रामदेव ने शाही सेना की फिर हर तरह से सहायता की, अमीर खुसरो ने ख़ज़ाएनुल फुतूह में उसकी प्रशंसा राय अस्ल बराए असील और राय नेक अस्ल की निहाल कर्द दरगाह ख़िलाफत पनाह अस्त लिख कर की है और लिखा है कि जब शाही सेना धूर समुद्र जाते हुए देवगीर से गुज़री तो रामदेव ने सच्चे दिल से देवगीर शहर को जन्नत की तरह सजाया और आदेश दिया कि सेना की आवश्यकता की सभी चीज़ें उपलब्ध रहें और यदि शाही सेना के पहलवानों को अपने तीरों के लिए सीगुर्म नामी पक्षी के पंखों की आवश्यकता हो तो वह भी उपलब्ध किए जाएं ताकि धूर समुद्र और माबर के देवों को हराया जा सके। देवगीर का बाज़ार एरम के बाग की तरह सजाया गया। जब शाही सेना के घुड़सवार उसमें से गुज़रे तो उनको महसूस हुआ कि शद्दाद की जन्नत से गुज़र रहे हैं। बाज़ार का हर हिस्सा नये ढंग से सज़ाया गया था। सर्राफ़ सोने और चाँदी के सिक्के लिए बैठे थे। बज़्ज़ाओं ने भारत और खुरासान के अच्छे कपड़ों की दुकानें लगा रखी थीं, फलों का ढेर लगा हुआ था, उनमें कुछ फल तो अनार से अधिक मीठे और आम से अधिक अच्छे थे। सैनिकों के लिए ऊन, चमड़े, नील और लोहे की सारी चीज़ें रखी हुई थीं कि उपयुक्त मूल्य पर ख़रीदी जा सकें। न्याय की तारीफ एक शेअर में की है।

राय रायान रामदेव ने अपने एक सेनापति पसुरामदेव को निर्देश दिया कि वह शाही सेना को धूर समुद्र पहुँचाने में हर तरह की मदद करे। दलवे ने इस आदेश का पालन किया, शाही सेना पाँच मंज़िल तय करके देवगीर से दलवे के पास पहुँची। अमीर खुसरो का कथन है कि ''उसका भाग्य अच्छा था तो उसने तुरन्त इस्लामी फ़ौजों का स्वागत किया।''

धूर समुद्र की तरफ़ शहरी सेना बढ़ी तो वहां के राजा के परिवार में मतभेद था, दो भाई सुन्दर पाण्डिया और वीर पाण्डिया थे दोनों राजगद्दी के दावेदार हुए तो सुन्दर पाण्डिया ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलज़ी से मदद माँगी और वीर पाण्डिया ने शाही सेना का मुक़ाबला किया लेकिन फिर समझौता कर लिया और शाही सेना का बहुत बड़ा सहयोगी हो गया। जब सेना ने मअबर की ओर कूच किया तो वीर पाण्डिया ने उसको रास्ता दिखाया, असामी वीर पाण्डिया को बिलाल (वीर बिलालदेव) लिखा है और उसको ''फख्र–ए–रायान–ए–हिन्दुस्तान'' बताता है। उससे समझौता होता है तो असामी शेअर लिखता है।

मलिक क़ाफूर भी उसके साथ बहुत सम्मान का व्यवहार करता है और खिलअ़त प्रदान करता है।

कुछ दिनों के बाद राजा बिलाल से कहा गया कि जब कि वह शाही सेना का दिल और जान से दोस्त हो गया है तो वह मअबर की ओर आक्रमण में शाही सेना से सहयोग करे, वह इसके लिए सहमत हो गया, असामी ने इस सहयोग का विवरण लिखा है।

मअबर भी अधिकार में आ गया, इस तरह अरंगल और धूर समुद्र और मअबर की विजय में राजा राम रायान रामदेव परसुदेव दलवे और राजा वीर बिलाल का भी सहयोग रहा।

.....जारी.....

❖❖❖

फ़िलिस्तीन और मुसलमान

इदारा

मौजूदा पढ़ी लिखी और उन्नतिशील दुनिया का अजीब हाल हो गया है कि लोग ज़ालिम और मज़लूम का अन्तर नहीं समझते, न्याय और अन्याय को नहीं जानते, आज फ़िलिस्तीन की सर ज़मीन पर आग और ख़ून की होली खेली जा रही है, यह अचानक पेश आने वाला वाक़िआ नहीं है, यह आग और ख़ून की होली अब से 75 वर्ष पहले द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज और अमरीका, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की मिली भगत से फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार करके उनकी ज़मीन पर यहूदियों को बसाया गया और ताक़त के बल पर नाजाएज़ इस्राइल स्टेट की स्थापना की गई, इसके अलावा यहूदी, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर शरणार्थी के रूप में पहुंचे, इसकी तफसील यह है कि द्वितीय विश्वयुद्ध का हीरो एडाल्फ़ हिटलर था जो यहूदियों का जानी दुश्मन था, जिसने यहूदियों को मारने के लिए बड़ी संख्या में गैस चैम्बर्स बनावाए थे जिसमें जहरीली गैस क्लोरीन होती थी, उसी में यहूदियों को डलवा दिया जाता था, लाखों की संख्या में उनकी मौत हो गई इस इन्सानियत सोज़ सज़ा से बच कर यहूदियों की एक बड़ी तादाद पनाह लेने के लिए फ़िलिस्तीन पहुँची, इस तरह वहाँ के निवासी बन गये और अपना क़बज़ा ज़माने की कोशिश की इस सिलसिले में ब्रिटिश साम्राज ने उनकी पूरी मदद की, इन 75 सालों में अपने वतने अज़ीज़ की हिफ़ाज़त के लिए हज़ारों फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हुए, शहीद होने वालों में मर्द औरतें और मासूम बच्चे भी हैं, विश्व मीडिया इसका गवाह है, कितने प्रस्ताव यू0एन0ओ0 से फिलिस्तीनियों के समर्थन में पास हुए लेकिन बड़ी ताक़तों ने उसे वीटो कर दिया, जिस की वजह से उत्पीड़तों के साथ न्याय न हो सका और आज तक उन्हें न्याय न मिल सका जब जब वह अपनी मांगों के साथ खड़े होते हैं उनको कुचल दिया जाता है, इस समय फ़िलिस्तीनियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वह अपनी चरम सीमा पर पहुँचे हुए हैं, ग़ाज़ा के रहाइशी मकानों पर इस्राईली बम्बारी की वजह से इन्सानी आबादी की शिनाख़्त ख़त्म हो गई, उसके मलवे में लोग अपने रिश्तेदारों की लाशें तलाश रहे हैं, बर्बरता और हैवानियत की अन्तिम सीमा यह है कि इस्राईली बम्बारी से हास्पिटल भी सुरक्षित नहीं जहाँ बच्चे बूढ़े ज़ख्मों से चूर मरीज़ों का इलाज चल रहा है, कहने वाले ने उचित और सत्य कहा कि ''ग़ाज़ा में मानवता संकट में है'' फ़िलिस्तीनी विवाद केवल फ़िलिस्तीनियों से सम्बन्धित नहीं, बल्कि पूरे मुस्लिम जगत से सम्बन्धित है, मुसलमानों का क़िबल– ए–अव्वल मस्जिदे अक़्सा फ़िलिस्तीन के शहर कुद्स में है, जिसकी तरफ़ रुख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 17 महीने नमाज़ पढ़ी उसके बाद हुक्म हुआ कि खान–ए–काबा को क़िबला बनाइये, उसी की यादगार मस्जिदे जूकिबलतैन है। मस्जिदे अक़्सा क़िबल–ए–अव्वल के अलावा वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ से नबी करीम सल्ल0 सफ़रे मेराज पर तशरीफ़ ले गये, और उसी मस्जिद में आप सल्ल0 ने अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत फ़रमाई, इसलिए दुनिया के मुसलमानों का फ़िलिस्तीन की सरज़मीन और वहाँ के बाशिन्दों से ईमानी और जज़्बाती लगाव है।

सलाम उन पर जिन्होंने कुद्स पर जानें निछावर कीं। शहादत के लिए निकले कफ़न को बाँध कर सर से।।

नये संसद भवन में रचा गया नया इतिहास

इं0 जावेद इक़बाल

भारत के नए संसद भवन में विशेष सत्र की कार्यवाही बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुई। माननीय प्रधानमंत्री के सपनों के इस भवन के निर्माण पर आठ अरब से अधिक रुपए खर्च हुए। विशेष सत्र के बुलाने का मकसद क्या था, इस विषय पर ख़ूब ख़ूब अनुमान लगाए गए क्यूंकि इस का एजेंडा अंतिम समय तक गुप्त रखा गया था। किसी ने सोचा कि देश का नाम बदलने की तैयारी है, किसी ने सोचा कि एक देश एक इलेक्शन का विधेयक पास कराना मक़सद है। गरज यह, जितने दिमाग उतने विचार। मगर इस पांच दिवसीय विशेष सत्र का आरंभ और अंत जिस प्रकार हुआ वह नये संसद भवन के इतिहास में नई संस्कृति की रचना के लिए अवश्य ही जाना जाएगा। जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पास होने वाला महिला आरक्षण बिल इस सत्र का मुख्य उद्देश्य रहा।

इस ऐतिहासिक सत्र के आरंभ में जो हुआ वह उन भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी चिंता का कारण है जो देश को समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की उन्नति तभी संभव है जब वहां शांति होगी, भाईचारा होगा अतः देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए सभी को सभी के प्रति सम्मान की भावना से ओत–प्रोत होना आवश्यक है।

सत्र के आरंभ में सभी सांसदों को संविधान की प्रति उपलब्ध कराई गई। सांसद यह देख कर आश्चर्यचकित रह गए कि इस प्रति से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के शब्द गायब थे। जब विपक्ष की ओर से इस त्रुटि पर आपत्ति जताई गई तो सत्ता पक्ष का जवाब था कि वर्तमान प्रति में वही शब्द लिखे गए हैं जो 1949 की आरंभिक प्रति में दर्ज थे। यह तो ठीक है कि आरंभ में ये शब्द दर्ज नहीं थे, बाद को 1976 में संशोधन के द्वारा ये शब्द जोड़े गए थे। तब से अब तक संविधान में अनेकों संशोधन किए जा चुके हैं। प्रत्येक संशोधन के लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है, लोकसभा तथा राज्यसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं तदोपरांत उक्त संशोधन संविधान का हिस्सा बनता है। वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसा कोई अमल नहीं किया गया और अपनी मनमानी करते हुए इन दो महत्वपूर्ण शब्दों को संविधान की प्रतियों से हटा दिया। तो क्या अब तक किए गए सभी संशोधनों को सरकार मनमाने ढंग से जब चाहे निकाल देगी, यह एक चिंता का विषय है।

इस सत्र का मुख्य उद्देश्य जिस बिल को पास कराना था वह महिला आरक्षण से संबंधित था, इसे नाम दिया गया है ''महिला शक्ति वंदन'' अधिनियम। यों तो यह बिल ऐतिहासिक बहुमत से पास हुआ। केवल असद्दुदीन की पार्टी ए0आइ0 एम0आई0एम0 के दो सदस्यों के अतिरिक्त सभी पार्टियों ने इसके पक्ष में वोट दिए। इस तरह यह बिल 454 वोटों के बहुमत से पास हुआ। स्पष्ट है कि इस बिल के द्वारा सरकार देश की जनता से वाहवाही लूटना चाहती थी अतः उसने वह कर दिखाया जो अब तक कोई पार्टी विशेषकर कांग्रेस नहीं कर सकी थी। हालांकि यह मोदी सरकार का प्रोपेगंडा मात्र

ही है क्योंकि वास्तविकता यह है कि वर्ष 1980 में स्व० राजीव गांधी ने महिला आरक्षण का नज़रिया पेश किया था, जिस के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण निर्धारित हुआ था। तत्पश्चात प्रधानमंत्री देवगोड़ा के कार्यकाल में 1996 में यह बिल पेश किया गया था मगर सभी पार्टियों की सहमति न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका था। इसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के कार्यकाल में, 1998 में पुनः पेश किया गया। बाजपेई जी की सरकार भी कई पार्टियों के सहयोग से बनी थी और सब की सहमति न मिलने के कारण बिल पास नहीं हो सका था। वर्ष 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा एक बार फिर प्रयास किया गया मगर इस बार भी सब की सहमति न मिलने के कारण बिल पास न हो सका। वर्ष 2008 में एक बार फिर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राज्य सभा में यह बिल पेश किया गया और भारी बहुमत से बिल पास भी हुआ मगर लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टियों की असहमति के कारण बिल लोकसभा में पेश ही नहीं किया गया, उस समय यह दोनों पार्टियां यू0पी0ए0 का हिस्सा थीं।

वर्तमान मोदी सरकार 2014 से देश की सत्ता पर काबिज है मगर नौ वर्ष तक उसे इस बिल की सुध नहीं आई। फिर क्या कारण है कि 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने नई संसद भवन के उदघाटन के अवसर पर विशेष सत्र बुलाकर हड़बड़ी में केवल यह एक बिल लोकसभा में पेश किया। 20 सितंबर को दिन भर की बहस और अनेक सुझावों एवं आपत्तियों के बावजूद सभी पार्टियों के समर्थन से बिल पास हो गया। फिर अगले ही दिन राज्यसभा में पेश किए जाने पर वहां भी दिन भर की चर्चा के बाद बिल पास हो गया। इस में कोई संदेह नहीं कि यह मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। तुरंत ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु बिल उनके पास भेज दिया गया और दिनांक 28 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमति मुर्मू जी के भी हस्ताक्षर हो गए। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य है, इसका सेहरा मोदी जी के सर बांधने में किसी को कोई आपत्ती नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार जानती थी कि वह पूर्ण बहुमत में है, विपक्ष विरोध करेगा भी तो उस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विपक्ष भी इस हक़ीक़त को समझता था इसीलिए तमाम आपत्तियों के बावजूद समर्थन देना उसकी विवशता थी। समर्थन न देने की स्थिति में पूरा बी जे पी तंत्र, विशेषकर स्वयं मोदी जी अपने अनूठे अंदाज में इलेक्शन रैलियों में विपक्ष को महिला विरोधी घोषित कर देते।

इस बिल में बड़ी कमी यह है कि ओ0बी0सी0वर्ग और मुस्लिम वर्ग या अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं का कोई उल्लेख नहीं है, केवल 33 प्रतिशत आरक्षण की बात है और वह भी 2026 की जनगणना के बाद, इतना ही नहीं बल्कि जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन होगा तत्पश्चात आरक्षण में दलितों का कोटा निर्धारित किया जाएगा। स्पष्ट है कि 2024 के इलेक्शन में महिलाओं को इस बिल का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। 2029 के इलेक्शन में भी अगर कोई लाभ मिल सका तो यह बड़ी बात होगी। इस तरह यह बिल महिलाओं को झूठा प्रलोभन अर्थात खुला धोखा देने समान है।

महिलाओं के एक अन्य नजरिये का उल्लेख भी दिलचस्पी से ख़ाली न होगा वह यह कि

शेष पृष्ठ ...35..पर

आपके प्रश्नों के उत्तर

—मुफ़्ती मुहम्मद ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक व्यक्ति ने अपनी एक ज़मीन मदरसे के लिए वक़्फ़ कर दी, उसमें मदरसा भी बन गया, वक़्फ़ करने वाले अब यह शर्त लगा रहे हैं कि मदरसे के नाजिम मेरे लड़के रहेंगे वरना मैं ज़मीन वापस लेलूँगा, क्या वाकिफ के लिए अब यह शर्त लगाना दुरुस्त है?

उत्तरः वक़्फ़ करते वक़्त वाकिफ ने जो शर्तें लगाई हैं उन्हीं शर्तों का एतिबार होगा, वक़्फ़ के बाद नई शर्तों को जोड़ना जायज़ नहीं है।

(रद्दुल मुहतार 459/4)

प्रश्नः मुश्तरका जायदाद (संयुक्त संपत्ति) जिसका अभी बटवारा न हुआ हो, अगर कोई हिस्सेदार अपना हिस्सा मस्जिद के लिए वक़्फ़ कर दे तो क्या यह वक़्फ़ सही होगा?

उत्तरः अगर जायदाद तक्सीम के लायक़ हो, और कोई अपना हिस्सा वक़्फ करे तो वक़्फ दुरुस्त हो जायेगा, पहले से तक्सीम होना ज़रूरी नहीं है।

(फतावा हिंदिया–465/2)

प्रश्नः किराये का मकान, मालिक ने मस्जिद के लिए वक़्फ कर दिया तो यह वक़्फ दुरुस्त हुआ या नहीं?

उत्तरः मालिक ने जब अपना मकान मस्जिद के नाम वक़्फ कर दिया तो वह मस्जिद की मिल्कियत हो गयी, और वक़्फ दुरुस्त हो गया।

(रद्दुल मुहतार 340/4)

प्रश्नः एक व्यक्ति ने अपनी खेती की तमाम ज़मीन मदरसे के नाम वक़्फ कर दी, वारसीन के लिए कुछ नहीं छोड़ा, उनके इंतेकाल के बाद वरसा का दावा है कि यह ज़मीनें हम लोगों की हैं, यह वक़्फ़ दुरुस्त नहीं हुआ है, क्योंकि तमाम जायदादें वक़्फ़ नहीं की जातीं, शरीयत का हुक्म क्या है?

उत्तरः जायदाद के मालिक ने जब तमाम ज़मीनें वक़्फ कर दी हैं तो यह वक़्फ़ हो गयी हैं अब उनमें वरासत जारी नहीं होगी और न वारसीन को आपत्ति का हक हासिल है।

(फतावा हिंदिया 352/2)

प्रश्नः एक व्यक्ति ने अपना क़लमी बाग मदरसे के नाम हिबा कर दिया है, और उसका मुतवल्ली वह स्वयं है, उस बाग की लकड़ियाँ अपने निजी प्रयोग में लाता है, बाग की कुछ आमदनी तो मदरसे को दे देता है, बाकी अपने इस्तेमाल में लाता है, क्या यह दुरुस्त है?

उत्तरः जब बाग़ को मदरसे के लिए हिबा कर दिया या वक़्फ़ कर दिया तो अब उस बाग की आमदनी या उसकी लकड़ियाँ स्वयं इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है अगर्चि स्वयं ही मुतवल्ली हो। (रद्दुल मुहतार 452/4)

प्रश्नः अगर कोई वसीयत करे कि मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल संपत्ति वक़्फ समझी जाय तो क्या यह वक़्फ़ दुरुस्त हो जायेगा?

उत्तरः यह वक़्फ़ भी सही है लेकिन यह वसीयत के हुक्म में है यानी कुल छोडे हुए माल में से सिर्फ एक तिहाई माल वक्फ गिना जायेगा, बाकी माल वारिसीन में तक्सीम किया जायेगा।

(मजमऊल अंहार 740/1)

प्रश्नः एक व्यक्ति ने दिल में यह इरादा किया है कि अपने मकान के करीब की ज़मीन में मदरसा क़ायम करूंगा, और यह ज़मीन उस पर वक़्फ़ रहेगी, बाद में सोच विचार करने से इरादा बदल गया कि यह ज़मीन बच्चों के रहने के लिए बेहतर रहेगी, सवाल यह है क्या वक़्फ़ का इरादा करने से वह ज़मीन वक़्फ़ हो गयी, क्या उसको

बदल सकते हैं या नहीं?

उत्तर: सिर्फ इरादे से ज़मीन वक़्फ़ नहीं होती बल्कि ज़बान से कहने या वक़्फ़ के लिए अलग कर देने से वह वक़्फ़ होगी बयान की गयी सूरत में अभी ज़मीन वक़्फ़ नहीं हुई है, इसलिए बदल सकते हैं।

(अलदुर्रुल मुख्तार 343/3)

प्रश्न: एक इमारत मदरसे के लिए वक़्फ़ थी, कई सालों तक उसमें मदरसा चला, लेकिन प्राप्त फीस न आने की वजह से अब उसको चलाना दुश्वार हो रहा है, मदरसे के मौजूदा जिम्मेदारान चाहते हैं कि अब उसमें अंग्रेज़ी स्कूल खोल दिया जाय ताकि मुस्लिम बच्चे उसमें तालीम हासिल करें, क्या ऐसा करना सही है?

उत्तर: मदरसा दीनी तालीम के लिए क़ायम किया जाता है, उसके खास उद्देश्य होते हैं और स्कूल दुनियावी तालीम के लिए होते हैं जिनके अलग उद्देश्य होते हैं मदरसे की इमारत को वाकिफ की मंशा के खिलाफ स्कूल के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है, मदरसे के ज़िम्मेदारों का खुद से उद्देश्य को बदलने का हक नहीं है।

(रद्दुल मुहतार 433/4)

प्रश्न: ईसाले सवाब की क्या दलील है?

उत्तर: एक सहाबी हुजूर सल्ल0 की ख़िदमत में आए और अर्ज़ किया कि मेरी माँ का इन्तिक़ाल हो गया वह मुझको कुछ वसीयत न कर सकीं, मेरा गुमान है कि अगर वह बोलतीं तो मुझे सदक़ा करने को कहतीं, तो क्या मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो उनको सवाब पहुंचेगा? हुजूर सल्ल0 ने फ़रमाया हाँ पहुँचेगा।

(बुखारी व मुस्लिम)

एक शख़्स ने हुजूर सल्ल0 से दर्याफ़्त किया कि मेरी माँ का इन्तिक़ाल हो गया अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उनको सवाब पहुंचेगा? आपने फ़रमाया हां पहुँचेगा। उसने कहा मेरे पास एक बाग़ है मैं आपको गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपनी माँ की जानिब से उसको सदक़ा कर दिया। (सुनने अबी दाऊद) इन रिवायतों में माली इबादतों के सवाब पहुंचाने का ज़िक्र है इन पर क़यास करके बदनी इबादतों के ईसाले सवाब को भी उलमा ने माना है।

प्रश्न: क्या बुजुर्गों से औलाद, रोज़ी, नौकरी, मुसीबत दूर होने और मरज़ दूर होने वग़ैरह की दरख़्वास्त की जा सकती है?

उत्तर: अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने चचा के लड़के अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 को मुख़ातब करके फ़रमाया था कि जब कुछ मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब किसी से मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो और फ़रमाया कि अगर अल्लाह तुम को फ़ाइदा न देना चाहे तो दुन्या के लोग मिल कर तुम को फ़ाइदा देना चाहें तो नहीं दे सकते, इसी तरह अगर अल्लाह तुम को फ़ाइदा देना चाहे तो सारी दुनिया के लोग मिल कर उस फ़ाइदे को रोक नहीं सकते। (तिर्मिज़ी) अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने सिखाया कि यूं कहा करोः ऐ अल्लाह जो आप अता फरमाएं उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो आप रोक लें उसे कोई देने वाला नहीं और आपके मुकाबले में किसी कोशिश करने वाले की कोशिश उस को फ़ाइदा नहीं पहुंचा सकती। (बुख़ारी)

कुर्आन मजीद में है "ऐ सुनने वाले अगर अल्लाह तआला तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई उस नुकसान को दूर नहीं कर सकता और अगर वह तेरे लिए किसी ख़ैर का फैसला फरमाए तो उस खैर से कोई रोक नहीं सकता। (10:10)

लिहाज़ा औलाद, रोज़ी, शिफ़ा, नौकरी सब अल्लाह से मांगें बुजुर्गों से नहीं अलबत्ता ज़िन्दा बुजुर्गों से दुआ की दरख़्वास्त करें कि यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से भी साबित है। और सहाब–ए–किराम से भी। ◆◇◆

पर्यावरण संरक्षणः इस्लाम का दृष्टिकोण

वारिस हुसैन

मानवजाति अनिवार्य रूप से प्रकृति या पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि यह उसकी जीविका, विकास और जीवनयापन के सभी साधनों का श्रोत है। लेकिन मानव सभ्यता के विकास और प्रगति की दौड़ ने पर्यावरण और पृथ्वी की प्राकृतिक धरोहर को विनाश के बिन्दु पर ला खड़ा किया है। हमारा पर्यावरण अब हमें अनेक संकेत दे रहा है कि यह बहुत तनाव में है और इसके संरक्षण के लिए यदि तात्कालिक रूप से कुछ क्रान्तिकारी उपाय न किये गये तो इस पृथ्वी पर मानव जीवन भारी आपदा का शिकार हो जाएगा। इन्सानों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। आज का इन्सान जिन समस्याओं से जूझ रहा है और जो उसके जीवन पर विपरीत और अत्यंत हानिकारक और कष्टदायक प्रभाव डाल रहे हैं, और जिनका सामना हमें हर समय करना पड़ता है, उनको सूचीबद्ध करना एक कठिन कार्य है, पर उनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं–

(1) ग्लोबल वार्मिंग (2) जलवायु परिवर्तन (3) ओज़ोन परत का अवक्षेपण (4) वायु प्रदूषण (5) विषाक्त साम्रगी (6) पानी की कमी (7) जैव विविधता का नुक़सान (8) अम्लीय वर्षा (9) वनों का विनाश (10) रोग (11) प्रकृति में हस्तक्षेपः क्लोनिंग, समलैंगिकता, गर्भपात आदि। (12) परमाणु, जैविक और रासायनिक हथियार।

बिगाड़ का मुख्य कारणः–

यह सभी समस्याएं आज भयावह रूप धारण कर चुकी हैं और इन पर नियंत्रण पाने के अनगिनत और निरंतर प्रयत्न के उपरांत भी मनुष्य को सफलता मिलती प्रतीत नहीं हो रही है। यदि यह कहा जाए की असफलता का मुख्य कारण बीमारी का सही आकलन न कर पाना और अपनी सारी शक्ति को ग़लत दिशा में केन्द्रित कर देना है, तो बात ग़लत न होगी। दुनिया में की जाने वाली सभी कोशिशों से हट कर इस संबंध में इस्लाम अपना एक अलग दृष्टिकोण रखता है और पूरा दावा करता है कि यदि उन आधारों के अनुरूप जीवन व्यतीत किया जाए तो इन समस्त समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है।

इन समस्याओं का इन्सानों को घेरना तब से आरंभ हुआ है जब से इन्सान ने स्वयं को इस संसार का मालिक समझना शुरु किया है और अल्लाह द्वारा प्रदान किये गये संसाधनों के उपयोग में उसके मार्गदर्शन के उल्लंघन में हर सीमा को तोड़ डाला है। इस संसार की रचना इन्सान ने नहीं की है और न वह इसका मालिक हो सकता है। अल्लाह ने इस संसार में इन्सानों को अपने प्रतिपादक और ट्रस्टी के रूप में बसाया था और मानवता के हित में इन समस्त संसाधनों का उपयोग उसके लिए संभव, सुलभ व सरल बना दिया था और उसे भली–भांति यह ज्ञात भी करा दिया था कि उसका सुख, शान्ति और सफलता इसी में निहित है कि वह अपनी इस स्थिति को सदा याद रखते हुए जीवन व्यतीत करे तथा ईश्वर अल्लाह द्वारा बनाए गये प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ने से बचे। कुरआन में स्पष्ट रूप से यह आदेश दिया गया था–

''रहमान ने कुरआन सिखाया, उसी ने मनुष्य को पैदा किया, उसे बोलना सिखाया, सूर्य और चन्द्रमा एक हिसाब के पाबन्द हैं, और तारे और वृक्ष सजदा करते हैं, उसने आकाश को ऊँचा किया और संतुलन स्थापित किया, कि तुम भी तुला में सीमा का उल्लंघन न करो।

न्याय के साथ ठीक–ठीक तौलो और तौल में कमी न करो''

(कुरआन 55:1–9)

मुसलमानों की ज़िम्मेदारी:–

पर्यावरण संरक्षण इस्लाम का एक महत्वपूर्ण अंग है। पृथ्वी के प्रबंधक होने के नाते वैसे तो यह समस्त इन्सानों की ज़िम्मेदारी है कि वे पर्यावरण की देखभाल सक्रिय तरीक़े से करें और उसे नष्ट होने से बचाएं, परन्तु अधिकतर लोग स्वयं को इस धरती पर अल्लाह का प्रतिपादक और ट्रस्टी स्वीकार नहीं करते, इसलिए मुसलमानों पर यह ज़िम्मेदारी विशेष रूप से आ जाती है। अल्लाह ने निरुद्देश्य कुछ भी पैदा नहीं किया है। इस उद्देश्य से हट कर या उसके विपरीत किसी भी चीज़ का उपयोग ही असंतुलन और विनाश का मुख्य कारण है। मुसलमानों को इस संसार में अल्लाह की समस्त जीवित अजीवित सृष्टि और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों पर चिंतन करने और अल्लाह द्वारा बनाए गये *Ecological* संतुलन को बनाए रखने के लिए भरपूर प्रोत्साहन करता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए इस्लाम ने दो आधार दिये हैं–

(1) दुरुपयोग से बचना

(2) संतुलित विकास

पवित्र कुरआन कहता है–

''वही है जिसने तुम्हें धरती में ख़लीफ़ा (अधिकारी, उत्तराधिकारी) बनाया और तुममें से कुछ लोगों के दर्जे कुछ लोगों की अपेक्षा ऊँचे रखे, ताकि जो कुछ उसने तुमको दिया है उसमें वह तुम्हारी परीक्षा ले।''

(कुरआन 6:165)

''ऐ आदम की संतान, इबादत के प्रत्येक अवसर पर अपनी शोभा धारण करो, खाओ और पियो, परन्तु हद से आगे न बढ़ो। निश्चय ही, वह हद से आगे बढ़ने वालों को पसन्द नहीं करता''। (कुरआन 7:31)

पैग़म्बर मुहम्मद सल्ल0 ने पेड़ों के रोपण और कृषि को एक अच्छा कार्य माना और इसको सदा प्रोत्साहित किया– ''कोई भी मुसलमान यदि पेड़ लगाता है या कोई बीज बोता है, और फिर इन्सान, पक्षी या एक जानवर इसे खाता है, तो यह उसके लिए एक धर्मार्थ उपहार के रूप में माना जाता है।

(बुख़ारी)

इस्लाम का दृष्टिकोण:–

पर्यावरण पर इस्लामी दृष्टिकोण इस आधार पर टिका हुआ है कि अल्लाह ही ब्रह्माण्ड को और उसमें कार्यरत समस्त शक्तियों को उसने पूर्ण ज्ञान (हिकमत) के साथ एक निश्चित उद्देश्य और योजना के अंतर्गत अस्तित्व प्रदान किया है। इसमें फैली हुई हर वस्तु व हर संसाधन की संख्या, मात्रा और गुणवत्ता ईश्वरीय योजना द्वारा ठीक–ठीक निर्धारित की जाती है और इनमें से प्रत्येक अपनी निर्धारित भूमिका निभाता है। पवित्र कुरआन, इस बिन्दु पर प्रकाश डालते हुए कहता है–

''हमने आकाशों और धरती को और जो कुछ उन दोनों के मध्य है उसे केवल हक़ के साथ और एक नियत अवधि तक के लिए पैदा किया है। किन्तु जिन लोगों ने इन्कार किया है, वे उस चीज़ को ध्यान में नहीं लाते हैं जिससे उन्हें सावधान किया गया है।

(कुरआन 46:3)

अल्लाह ने संसाधनों की एक निश्चित मात्रा रखी है जो दुनिया की समस्त आवश्यकता के अनुरूप है और जो मांग और आपूर्ति में संतुलन को जन्म देती है। इसलिए, इस्लाम पर्यावरण को संतुलन के दृष्टिकोण से ही देखता है। कुरआन इस सत्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है–

''और हमने धरती को फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिये और उसमें हर चीज़ नपे–तुले अंदाज़ में उगाई। और उसमें तुम्हारे गुज़र–बसर के सामान निर्मित किये, और उनका भी जिनको रोज़ी देने वाले तुम नहीं हो।''

(कुरआन, 15:19–20)

प्रकृतिः इस्लाम की निगाह में:–

प्रकृति वास्तव में इन्सानों के लिए 'अल्लाह का उपहार' है जो इस पृथ्वी पर सबको जीवित रखती है। कुरआन में 750 से अधिक छंद हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं, इनमें से निम्नलिखित का वर्णन कुरआन में बार–बार आया है।

पानीः– इस्लाम में पानी को बहुत महत्व दिया गया है और इसे समस्त जीवन के मूल–स्रोत के रूप में पेश किया गया है। उदाहरण के लिए कुरआन कहता है 'और हमने पानी से हर जीवित चीज़ बनायी, तो क्या वे मानते नहीं?'

(कुरआन– 21:30)

कुरआन में यह भी कहा गया है कि, 'अल्लाह ने पानी से पैदा किया हर उस जानदार को जो अपने पेट के बल चलता है, जो दो पैरों पर चलता है या चार पैरों पर। पानी शुद्ध और शुद्धता प्रदान करने वाला है।''

(कुरआन– 25:48)

पानी की इतनी महत्वता को देखते हुए ही पानी को बर्बाद करने से मना किया गया है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फ़रमाया कि, ''पानी को बर्बाद मत करो, चाहे तुम बहते हुए दरिया के पास ही क्यों न हो।'' कुरआन में यह भी बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार अल्लाह ने ज़मीन पर पानी के संतुलन को बनाए रखने की व्यवस्था की है।

''अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है। फिर वे बादलों को उठाती हैं, फिर जिस तरह चाहता है उन्हें आकाश में फैला देता है और उन्हें परतों और टुकड़ियों का रूप दे देता है। फिर तुम देखते हो कि उनके बीच से वर्षा की बूंदें टपकी चली आती हैं। फिर जब वह अपने बन्दों में से जिन पर चाहता है, उसे बरसाता है। तो क्या देखते हैं कि वे हर्षित हो उठे।''

(कुरआन 30:48)

''और हमने आकाश से एक अंदाज़े के साथ पानी उतारा। फिर हमने उसे धरती में ठहरा दिया, और उसे विलुप्त करने की सामर्थ्य भी हमें प्राप्त है। फिर हमने उसके द्वारा तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग़ पैदा किये। तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल हैं। (जिनमें तुम्हारे लिए कितने ही लाभ हैं) और उनमें से तुम खाते हो।''

(कुरआन 23:18–19)

पृथ्वीः– कुरआन में पृथ्वी के तत्वों से ही मानव की रचना की बात कही गयी है। अल्लाह कहता है ''उसी से हमने तुम्हें पैदा किया और उसी में हम तुम्हें लौटाते हैं और उसी से तुम्हें दुबारा निकालेंगे।''

(कुरआन 20:55)

इतना ही नहीं अल्लाह ने इस धरती को बिछौने के रूप में विकसित किया है जिससे इन्सान यहां सुकून से जीवन बिता सके। ''और अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को बिछौना बनाया, ताकि तुम उसके विस्तृत मार्गों पर चलो।''

(कुरआन 71:18–19)।

इसी तरह पृथ्वी को मानव के लिए एक ''माँ'' के रूप में पेश किया गया है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 कहते हैं– ''पृथ्वी को संरक्षित करो, यह तुम्हारी माँ है।''

वनों की कटाईः– इस्लाम अनावश्यक रूप से पौधों और पेड़ों को काटने या नष्ट करने के ख़िलाफ़ है। हज़रत मुहम्मद सल्ल0 का स्पष्ट आदेश है, ''जो बिना स्पष्ट कारण के पेड़ काटता है, अल्लाह उसे नरक में डाल देगा।'' इस्लाम मुसलमानों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और इसे इबादत की संज्ञा देता है। अल्लाह के पैग़म्बर का कहना है ''बिना मजबूरी के पेड़ मत काटो।''

जानवरों का संरक्षणः– इस्लाम बताता है कि इस पृथ्वी पर इन्सान के अतिरिक्त दूसरे जीव–जन्तु के समूह भी हैं और वह सब सम्मान योग्य हैं। इसलिए हमारे हृदय में जानवरों के प्रति दयालुता होनी चाहिए और हमें सभी प्रजातियों के

संरक्षण को सुनिश्चत करने का प्रयास करना चाहिए। कुरआन में अल्लाह कहता है, ''धरती में चलने–फिरने वाला कोई भी प्राणी हो या अपने दो परों से उड़ने वाला कोई पक्षी, ये सब तुम्हारी ही तरह के गिरोह हैं।''

(कुरआन 6:38)

संसाधन अमानत हैः– अल्लाह सभी संसाधनों का वास्तविक मालिक है, इन्सान नहीं। संसार के समस्त संसाधन इन्सान को अमानत के रूप में सौंपे गये हैं इसलिए इनका सही और उचित उपयोग करना इन्सान का कर्तव्य है। उसे संसाधनों को बर्बाद करने से हर हाल में बचना चाहिए। अमानतदार होने के नाते उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रकृति का संरक्षण करे और पर्यावरण को ख़राब और प्रदूषित होने से बचाए। अल्लाह ने कुछ भी अनावश्यक, निरुद्देश्य और व्यर्थ नहीं बनाया है। कुरआन कहता है, ''हमने आकाश और धरती को और जो कुछ उनके बीच है, व्यर्थ नहीं पैदा किया।''

(कुरआन 38:27)

अल्लाह की समस्त रचनाओं का संरक्षण हर मुसलमान का कर्तव्य है। वह ऐसे लोगों को पसन्द करता है और उन्हें पुरस्कृत करने का वादा करता है जो पर्यावरण के संरक्षण का प्रयत्न करते हैं। इन्हीं आदर्शों को सामने रखते हुए हज़रत मुहम्मद सल्ल0 ने फ़रमाया कि, ''जो कोई भी पेड़ लगाता है और लगन से उसकी देखभाल करता है यहां तक कि वह परिपक्व हो जाए और उसमें फल–फूल आ जाए, अल्लाह उसे पुरस्कृत करता है। ''प्रथम ख़लीफ़ा, हज़रत अबू–बक्र ने पत्र के माध्यम से अपने सैनिकों को इसी का आदेश दिया था। उन्होंने लिखा था, ''पेड़ को मत काटना, नदी के पानी को बर्बाद मत करना, जानवरों को नुक़सान मत पहुंचाना और अल्लाह की समसत सृष्टि के साथ हमेशा दयालुता और मानवता का व्यवहार करना, यहां तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी।''

वास्तविक पर्यावरण संरक्षण के यही आधार हैं जिन पर चलने का आदेश इस्लाम देता है।

–:समाधानः–

इस्लाम इन्सानों को इस दुनिया में सादा और सरल जीवन जीने की दावत देता है और अपने मानने वालों के लिए सारी कठिनाइयों को दूर करने का भी वादा करता है। एक ऐसा जीवन जो अल्लाह की स्थापित सीमाओं के अन्दर रहते हुए व्यतीत किया जाए, जिसमें न अंधी भौतिकता की दौड़ हो, न एक दूसरे पर अत्याचार और शोषण की कोई भावना मन में जगह बनाने पाये। पर्यावरण में आया हुआ असंतुलन इन्सानों के अपने कर्मों का फल है, न कि प्रकृति का प्रकोप। कुरआन स्पष्ट रूप से कहता है–

''थल और जल में बिगाड़ फैल गया स्वयं लोगों ही के हाथों की कमाई के कारण, ताकि वह उन्हें उनकी कुछ करतूतों का मज़ा चखाए, कदाचित वे बाज़ आ जाएं।'' (कुरआन 30:41)

सादा और सरल जीवन पर्यावरण संरक्षण के पूर्णतः अनुकूल है। एक ओर जहां इससे खपत में कमी आएगी और परिणामस्वरूप संसाधनों में बढ़ोत्तरी होगी वहीं दूसरी ओर ऐसे पदार्थों के उत्पादन की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी जो आज मानव जीवन के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण पर हो रही विश्वव्यापी बहस और प्रयत्न के बीच एक मार्ग इस्लाम भी सुझाता है और इस दावे के साथ की सफलता सुनिश्चित है। ऐसे में इन्सानियत से मुहब्बत करने वाले और उसकी पीड़ा को महसूस करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह इस विकल्प पर भी ग़ौर करे। इस धरती पर इन्सान ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसके जीवन को बचाने के हर विकल्प का स्वागत होना चाहिए।

(कान्ति दिसम्बर, 2019 से ग्रहीत)

❖❖❖

–पिछले अंक से आगे.....

घरेलू मसायल

मौलाना मुहम्मद बुरहानुद्दीन सम्भली रह0

अनुवादः मौ0 मु0 जुबैर अहमद नदवी

गैर वारिस पोतों के लिए वसीयत की राहः-

उपरोक्त बातों के अलावा ऐसे बच्चों को माली फायदा पहुँचाने का एक और बड़ा रास्ता खुला हुआ है, वह है ''वसीयत का कानून'' जो विरासत पाने वालों के लिए तो बंद है। इस रास्ते से कभी कभी गैर वारिस को, विरासत की मात्रा से (यानी वारिस के मुकाबले में) भी ज़्यादा माल दिया जा सकता है।

अगरचे विरासत की व्यवस्था के कानून के बाद वसीयत जरूरी तो नहीं रही मगर गैर वारिस रिश्तेदारों के लिए उलमा और फिक्ह के माहिरों की सर्वसम्मति से ये अब भी मुस्तहब है, इमाम शिइर्रानी (रह०) फरमाते हैंः उन लोगों का इस बात पर इत्तेफाक है कि वसीयत मुस्तहब है।

(अल–मीजानः 119/2)

बल्कि कई उलमा के नजदीक जिन में कुछ सहाबा भी हैं (घर वारिस के लिए) वसीयत करना अब भी वाजिब है, उन उलमा के नजदीक वसीयत वाली आयत अनुवादः–

:– ''तुम पर मौत का वक्त आने से पहले पहले वसीयत करना लाजिम है अगर माल छोड़ कर मर रहे हो।''

(सूरः बकरह– 180)

एक एतेबार से यानी वारिसों के लिए निरस्त है और एक हैसियत से यानी गैर वारिस के लिए निरस्त नहीं, जैसा कि बुखारी की शरह लिखने वाले अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी (रह०) लिखते हैं फरमाते हैंः–

अनुवादः– ''इस आयत को कुछ उलमा वारिसों के बारे में मंसूख (निरस्त) कहते हैं और गैर वारिसों के लिए गैर मन्सूख, ऐसा कहने वाले (सहाबा व ताबेईन में) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हसन, मसरूक, सईद बिन जुबैर, जह्हाक मुस्लिम बिन यसार (रह०) आदि हैं।

मजबूरी में यानी यतीम की परवरिश और किफालत का जब दूसरा कोई इंतजाम न हो, और दादा, दौलत छोड़ कर मर रहा हो, उस वक़्त इन हजरात का कौल उलमा के मश्वरे से अपनाते हुए, दादा पर वसीयत करना जरूरी करार दिया जा सकता है, इस कौल को अपनाने के बाद अगर दादा वसीयत किये बिना मर जाए तो भी उसके छोडे हुए माल से (इब्ने हज़्म जाहिरी के मसलक के मुताबिक) वसीयत के बराबर, विरासत से महरूम पोते को माल दिलवाया जा सकता है, जाहिरियह मसलक के इमाम इब्ने हज़्म के यहां चूंकि वसीयत वाजिब है, इसलिए उनके नजदीक वसीयत किये बिना इंतेकाल कर जाने की हालत में मय्यत के माल से उतनी मात्रा जिसको वारिसों या वसीयत किये हुए शख्स के मश्वरे से तय किया जाएगा विरासत से महरूम रिश्तेदारों को दिलवाई जाएगी, जैसा कि मोजमुल फिकह इब्ने हज़्म अल–जाहिरी में ''अल–मुहल्ला'' के हवाले से विरासत से महरूम, रिश्तेदार के लिए वसीयत करने या न करने का हुक्म बयान करते हुए कहा गया है।

अनुवादः– ''हर मुसलमान पर विरासत से महरूम रिश्तेदारों के लिए वसीयत करना लाजिम है, तर्का (छोड़े हुए माल) से महरूम होने का कारण चाहे गुलामी हो या कुफ्र या ये वजह हो कि उससे ज़्यादा करीब कोई दूसरा वारिस मौजूद है, और उसने उन्हें महरूम कर दिया है, उन सब महरूम रिश्तेदारों के लिए विरासत देने वाले को

चाहिए कि अपनी जिन्दगी में जिस मात्रा की चाहे जरूर वसीयत कर दे, अगर वसीयत नहीं की तो भी (मरने के बाद) उन्हें अनिवार्य रूप से उन्हें उतना माल (छोड़े हुए माल) से दिलवाया जाएगा जितना वारिस लोग या जिसको वसीयत की है वो मुनासिब समझें, तो अगर (मरने वाले के) माँ बाप दोनों या कोई एक काफिर है. या वो गुलाम है तो उस पर जरूरी है कि उन दोनों या एक के लिए वसीयत करे (जब कि दूसरे को विरासत खुद ही मिल रही हो) और अगर मरने वाले ने वसीयत नहीं की तो भी, उन दोनों को या एक को माल जरूर दिलवाया जाएगा।

(मोजमुल फिकह इब्ने हज्म अल–जाहिरी पृष्ठः 1042, जिल्द 2)

.....ज़ारी.....

❖❖❖

पृष्ठ ....27....का शेष

आरक्षण महिलाओं का अधिकार है वह अपने लिए 50 प्रतिशत हिस्सा चाहती हैं, उन्हें महिला शक्ति वंदन के नाम पर अपनी वंदना नहीं करवानी, वे अधिकार मांगती हैं।

नए संसद भवन के विशेष सत्र में इतिहास पर इतिहास बनते चले गए। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान–3 के विषय पर चर्चा के दौरान, अमरोहा जिले से बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली पर अचानक भड़क गए। सड़क छाप, गंवारू भाषा का प्रयोग करते हुए रमेश बिधूड़ी ने अशलील शब्दों की बौछार कर दी। वी0जे0पी0 के अन्य सांसद हंसते मुस्कुराते रहे और विपक्ष के सांसद भी कोई हस्तक्षेप न कर सके। आश्चर्य तो यह है कि न तो सभाध्यक्ष ने कोई रोक टोक की और ना ही संसदीय कार्य मंत्री ने बिधूड़ी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की। स्पष्ट है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे बी जे पी और आर एस एस की सहमति अवश्य ही रहती होगी तभी तो जब भी कोई आपत्तीजनक और देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली कोई घटना सामने आती है, सरकार के मुख्य और बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। जी–20 की मीटिंग में तुरकिया के राष्ट्रपति रज्जब तय्यब अर्दोगान ने इसी आचरण का चित्रण करते हुए कहा था कि सब का सम्मान, उत्थान और बराबरी का ढिंढोरा पीटने वाले देश इस्लामोफोबिया की घटनाओं के समय तीन बंदरों की तरह अंधे बहरे और गूंगे बन जाते हैं।

नए संसद भवन में रमेश बिधूड़ी की अभद्र, गंवारू और अशलील भाषा के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे इलेक्शन के दौरान एक नई जिम्मेदारी सौंप कर जनसभाओं में उसी तरह की भाषा का प्रयोग करने और अवाम के बीच नफरत का जहर फैलाने का लाइसेंस दे दिया गया है, अब वह राजस्थान के टोंक जिले में इलेक्शन प्रभारी बना दिए गए हैं।

नए संसद भवन के विशेष सत्र की इस घटना के परिप्रेक्ष्य में मौलाना सज्जाद नोमानी ने व्यंग्यात्मक शैली अख़्तियार करते हुए रमेश बिधूड़ी का शुक्रिया अदा किया है, उन्होंने कहा कि बिधूड़ी जी आपने बी0जे0पी0 और आर एस एस के सारे पर्दे चाक कर दिए हैं, उनके आचरण को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है, अब किसी को कोई भ्रम नहीं रह गया है कि आप लोगों का दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति क्या है।

मौलाना ने कहा कि बिधूड़ी जी आपने उस लोकसभा की मर्यादा का भी कोई ख्याल नहीं रखा, जिसे आप लोग लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मंदिर में ऐसी अशलील भाषा का प्रयोग कोई कैसे कर सकता है, मगर आपने यह भी कर दिखाया।

❖❖❖

शिष्टाचार

इदारा

सच पूछो तो किसी मनुष्य की विद्या, बुद्धि और योग्यता का पता उसकी बात चीत से ही चल जाता है इसलिए हमें बड़ी सावधानी से बात चीत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीवन की सफलता और असफलता बहुत कुछ बात चीत के ढंग पर निर्भर है। एक मीठी बोली बोलने वाले मनुष्य से लोग बिना कारण ही प्रेम और कड़वी बोली बोलने वाले से घृणा करने लगते हैं। अतः हमें शिष्टाचार की छोटी–छोटी बातों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

किसी मनुष्य की सबसे अच्छी पहचान उसके व्यवहार से हो सकती है जो वह अपने नौकरों चाकरों, अधीनस्थों और दीन दुखियों के साथ करता है। वास्तव में घटिया तबीअ़त के लोग ही दूसरों से असभ्य व्यवहार करते हैं। उत्कृष्ट विचारों के मनुष्य छोटे से छोटे मनुष्यों के साथ भी नम्रता का व्यवहार करते हैं, यही कारण है कि लोगों की दृष्टि में उनका मान सम्मान दिनो दिन बढ़ने लगता है। इसके विपरीत जो मनुष्य बिना कारण ही असभ्य व्यवहार करते हैं उन्हें दूसरे लोग असभ्य और फूहड़ के नाम से पुकारने लगते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि शिष्टाचार से मनुष्य के कामों में एक निखार, सौन्दर्य और सरलता आ जाती है और मनुष्य अधिक उपयोगी बन जाता है और यही शिष्टाचार मनुष्य के गुणों में ''सोने में सुगन्ध'' का सा काम देता है। इसलिए शिष्टाचार सम्बन्धी कुछ मोटी मोटी बातों का लिख देना उपयुक्त सिद्ध होगा।

बातचीत करते समय ''श्रीमान'' ''आप'' और ''तुम'' शब्द का उचित प्रयोग करने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पदवी तथा योग्यता में अपने से बहुत बड़े आदमी के लिए ''श्रीमान'' और साधारणतया हर एक बड़े आदमी और बराबर वालों के लिए ''आप'' बराबर वाले बड़े ही घनिष्ट मित्रों और छोटे लोगों और बच्चों के लिए ''तुम' शब्द का प्रयोग करना शिष्टाचार के अनुकूल है, किसी प्रश्न का उत्तर देते समय केवल ''हाँ'' ''नहीं'' कहना शिष्टचार के विरुद्ध है। हमेशा ''जी हाँ'' ''जी नहीं'' कह कर उत्तर देना चाहिए। यदि किसी आदमी का नाम या रहने का स्थान पूछना हो तो आप का शुभ नाम या शुभ स्थान के वाक्यांशों का प्रयोग करना चाहिए।

बातचीत करते समय केवल अपनी ही बात न दोहराते रहें बल्कि दूसरों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए, ऐसा न करने से दूसरे लोग उकता कर पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करने लगते हैं। सदैव उचित आवाज़ में बात किया करो न तो इतनी धीमी ही कि सुनाई न दे और न इतनी कठोर हो कि सुनने वाले के लिए अप्रिय हो, तेज़ और ज़ल्द स्वर में बात न की जाए कि बात समझ में न आये, न इतना रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए।

जब किसी से बात करनी हो तो मौक़ा और वक़्त का ख़्याल रखा जाए, कैसी अच्छी और ज़रूरी बात हो लेकिन बेमौक़ा और बेवक़्त की बात बुरी मालूम होती है। किसी व्यक्ति से ऐसी बात न कहो जिसको वह समझ न सके या जिसको सुनने की उसे इच्छा न हो या उसके सुनने से उसके दिल को रंज और सदमा पहुँचे।

छुरी का, तीर का, तलवार का तो घाव भरा
लगा जो ज़ख़्म ज़बाँ का, रहा हमेशा हरा।

शेष पृष्ठ ..38....पर

'हमारा दीन, वालदैन और हमारी ज़बान'

शमीम इक़बाल खाँ

अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है और अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में अपना करम और एहसान हम सब पर बनाये रखे कि अपने वालदैन के साथ उनकी शफ़कत और ममता के साये में हम लोग रहते रहें और उनकी ख़िदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल करते रहें. अल्लाह का हुक्म है कि 'मां–बाप के साथ एहसान किया करो' (सूरः निसा–36)। वालदैन के हुकूक की अदायगी के लिये कुरआन में कई बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकीद ही नहीं फरमाई है बल्कि अपने हुकूक के साथ वालदैन के हुकूक की भी याद दहानी कराई है. कुरआन कहता है '(हमने वसीअत की) कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने मां–बाप के शुक्रगुज़ार रहो' यह काबिल–ए–गौर है कि अल्लाह ने अपने बाद वालदैन की शुक्रगुज़ारी का हुक्म दिया है।

एक हदीस में है 'रब की नाराज़गी व खुशी बाप की नाराज़गी व खुशी में है' (तिरमिज़ी)। यह बात कई हदीसों में आई है कि माँ के क़दमों तले जन्नत है (अहमद, नसई व इब्नेमाजह)। 'वक़्त पर नमाज़ अदा करने के बाद सब से बेहतर अमल वालदैन के साथ हुस्न–ए–सुलूक है और इसके बाद अल्लाह की राह में जिहाद का अमल आता है। (बुखारी व मुस्लिम)।

वालदैन का साया अगर किसी के सर से उठ गया है तो वाल्दा की बहन व सहेलियों और वालिद के भाई व दोस्तों के साथ हुस्न–ए–सुलूक करने का हुक्म है। मुसलमान आमतौर पर रिश्तेदारी निभाता है अन्य लोगों की तरह मुसलमान अपने बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम में नही पहुंचाता और न मुसलमानों के वृद्धा–आश्रम हैं। यह हकीकत है कि अल्लाह के अहकाम के तहेत हम ने अपने बुजुर्गो को अपने से समेट कर रखा है लेकिन अपनी मादरी ज़बान उर्दू को घर से निकाल दिया है और वह बेचारी भटकती घूम रही है। जब अपनी मां की बहन और सहेलियों के साथ हुस्न–ए–सुलूक करने का हुक्म है तो हम अपनी मां से सम्बन्ध रखने वाली ज़बान यानी मादरी ज़बान उर्दू को घर निकाला क्यों दे रहे हैं? हम उसे क्यों नही अपना रहे हैं?

हुकूकुल–इबाद (अल्लाह के बन्दों के हुकूक)से सम्बन्धित आदेशों के अन्तर्गत हम बहनों, भाइयों, ख़ाला, चचा, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, मेहमानों, यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, बूढ़ों और आम इनसानों के हुकूक़, अहकाम–ए–इलाही के अनुसार अदा करते रहते हैं लेकिन हम नहीं अदा कर पाते हैं तो अपनी केवल मादरी ज़बान का हक नहीं अदा कर पा रहे हैं।

अल्लाह तआला का इरशाद है कि ''हम ने हर–हर नबी को उसकी कौमी ज़बान में भेजा है ताकि उनके सामने वज़ाहत से बयान कर दें''। हमारे नबी सल्ल0 भी अरब में तशरीफ़ लाये जहॉ की कौमी जबान अरबी थी। कुरआन इसी भाषा में अवतरित हुआ। इस्लाम केवल अरब वालों के लिये नहीं था बल्कि यह दीन सारे संसार वालों के लिये था और है इसलिये हर इलाके में वहॉ की स्थानीय भाषा में इस्लाम का प्रसार व प्रचार हुआ। कुरआन तो अरबी भाषा में है और रहेगा परन्तु कुरआन का अनुवाद और व्याख्या स्थानीय जुबान में की गईं हमें जो कुरआन की तफ़सीर, हदीसों के तर्जुमें मिले

वह सब उर्दू भाषा में है हमारी पूरी दीनी धरोहर उर्दू भाषा में ही है लेकिन हम अपनी मादरी ज़बान को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में दाखिल करने की कोशिश में लगे हुये हैं। उधर मुसलमानों के दुशमन यहूदियों का यह कथन है कि 'जिस कौम को खत्म करना चाहो तो पहले उसकी जबान को खत्म कर दो'। इसलिये हमें जिन्दा रहने के लिये अपनी ज़बान को ज़िन्दा रखना है क्योंकि ज़बानों की ज़िन्दगी रोज़ी रोटी पर नहीं कौमों की जिन्दगी पर निर्भर होती है।

''कोलकाता में कई सौ सालों से चीनी आबाद हैं। इनकी कुल संख्या कुछ हज़ार से अधिक नही है वह आराम से उर्दू और बंगाली बोलते हैं लेकिन अपनी ज़बान को भी किसी सरकार की सर–परस्ती के बग़ैर ज़िन्दा रखे हुये हैं। चीनी ज़बान में किताबें भी छापते हैं और अख़बार भी और खुद ही उसे हर चीनी के घर पहुंचाते हैं'' यह है चीनियों की अपनी ज़बान के प्रति प्रेम।

कोई क़तई नहीं चाहेगा कि अपनी मादरी ज़बान को घर–निकाला दे. आप उर्दू से अपने घर को सजायें। बिला शक आप ने कुरआन मजीद की तालीम ज़रूर हासिल की होगी और कुरआन पढ़ते भी होंगे (अगर आप किन्हीं कारणवश अभी तक कुरआन नहीं पढ़ सके हैं तो फौरन पढ़ना शुरू कर दें ताकि आल्लाह और उसके रसूल सल्ल0 की रज़ा हासिल की जा सके) आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो उर्दू पढ़ना सीख लेंगे, हिन्दी या अंग्रेज़ी की मदद से उर्दू सीखने की बहुत सी किताबें बाज़ार में उपलब्ध हैं उर्दू सीखने के लिये आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। उर्दू के लिये सब से बड़ी मदद आप की यह होगी कम से कम एक उर्दू का अखबार जिस की कीमत केवल पाँच छः रूपये है, आप जरूर खरीदें और पढ़ने की कोशिश शुरू कर दें क्योंकि उर्दू अख़बार से ही हमें दीनी और दुन्यावी हालात और मामलात का पता चलता है. दूसरी ज़बान के अखबारों से उन्हीं के विचार पढ़ने को मिलते हैं और गुमराह होते हैं. हमारे एक भाई हम से कहने लगे 'इस्लाम में चार शादियां जायेज नहीं है'. मैने पूछा कहॉ पढ़ा? बोले 'दैनिक जागरण' में., इससे बखूबी अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग किस क़दर गुमराह किये जा रहे हैं।

❖❖❖

पृष्ठ .....36...का शेष

किसी की बात काटना सख़्त ऐब है, जब तक दूसरे आदमी की बात समाप्त न हो जाए तुम हरगिज़ बात न शुरु करो, यदि कोई ज़रूरी बात हो तो पहले उस आदमी से माफ़ी मांगो तब अपनी बात शुरु करो। यह भी बड़ी मूर्खता की बात है कि पूछें किसी और से और जवाब देने लगो तुम। बात को ज़बान से पीछे निकालो, पहले उसको सोच लिया करो बिन सोचे बोलना बेवकूफी है, अपने मुहँ से अपनी प्रशंसा करना बहुत ही तुच्छ सी बात है, इससे हमेशा बचो।

किसी की आस्था या धर्म या बुजुर्गों की शान में बुरा शब्द कदापि ज़बान पर न लाओ, दोस्तों की सभा में असभ्य गप्पें न हाँको, जो बात हो ऐसी हो कि उससे तुम या तुम्हारे दोस्तों को लाभ पहुँचे, जिस बात से नफ़ा न हो उससे चुप रहना उत्तम है। ऐसा विवाद कभी न छेड़ो जिससे दोस्तों के दिल खट्टे हो जाएं और दोस्ती में बाधा पड़े, कभी कभी हँसी और दिल लगी की बात करने में भी हानि नहीं, मगर इसकी आदत न डालो।

जो बात कहो, साफ़ हो सुथरी हो भली हो
कड़वी न हो, खट्टी न हो मिसरी की डली हो।

❖❖❖

स्वास्थ्य

पाचन के लिए ज़रूरी हैं 5 बातें

डॉ0 लोकेश के0 भारती

कहते हैं जैसा खाओगे, वैसा ही शरीर बनेगा। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो यह है कि जैसा खाओगे, जितना पचाओगे, वैसा ही शरीर बनेगा। हमारे ग़लत ख़ानपान की वजह से शरीर में बदलाव होने लगते हैं। दरअसल, हम जो खाते हैं शरीर उसे अमूमन ग्लूकोज के रूप में स्वीकार करता है। इसका इस्तेमाल मांसपेशियों में और लिवर में खासतौर पर होता है। जब कोई फिजिकल ऐक्टिविटी नहीं करता तो धीरे–धीरे उसके मसल्स कमजोर होने लगते हैं। उसकी मांसपेशियों में ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज का उपयोग करने की क्षमता नहीं रहती। शरीर ग्लूकोज को दूसरे उपयोग केन्द्र लिवर तक पहुंचा देता है। शुरुआत में लिवर में ग्लूकोज फैट के रूप में जमा होता रहता है। यह स्थिति फैटी लिवर की हो जाती है। वहीं कुछ मामले में यह डायबीटीज की शुरुआत भी हो सकती है। वहीं जब लिवर में फैट स्टोर के लिए भी जगह नहीं बचती तो वह खून में बढ़ने लगता है जो अमूमन कोलेस्ट्राल के रूप में उभर कर सामने आता है। कोलेस्ट्राल का बढ़ना यानी खून की नालियों का संकरा होना है। इससे बीपी बढ़ता है। शरीर के बिगड़ने की यह पूरी प्रक्रिया अमूमन 10 से 15 वर्षों में पूरी होती है।

हम कितना खाते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हम जो खाते हैं उनमें से कितना पचा पाते हैं और हमारा शरीर कितनी मात्रा में पोषक तत्व ज़ज्ब कर पाता है। इसलिए हमारी पाचन क्रिया का दुरुस्त होना बेहद ज़रूरी है। इसी से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तमाम ज़रूरी अंग– हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, नसें आदि सही तरीक़ से काम कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या–क्या करना चाहिए, एक्सपर्ट्स से बात करके जानकारी दे रहे हैं, लोकेश के0 भारती।

1. चिकनाई और तली हुई चीज़ें हों कमः–

अगर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखना है तो सबसे पहले भोजन में से चिकनाई वाले हिस्से को कम से कम कर दें। एक दिन में 1 से 2 चम्मच तेल या 1 से 2 चम्मच घी काफी रहेगा। बाहर के पैक फूड आइटम्स, डीप फ्राई (समोसा, जलेबी, भटूरे) और जंक भूड (चाइनीज, बर्गर आदि) कम से कम लें। महीने में एक बार काफी है। कोशिश हो कि फ्राई फूड आइटम की जगह रोस्टेड यानी भुनी हुई चीजें खाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना पकाते समय तेल या घी को बहुत ज़्यादा गर्म न करें।

2. हमेशा ताज़ा खाना ही खायेंः–

खाना खाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि खाना गरमागरम ही खाएं यानी ताज़ा खाना खाने से उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व शरीर को मिलें। इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि हम बाजार से जो भी मौसमी सब्ज़ी लाते हैं, वे भी फ्रेश हों। जब हम फ्रेश सब्जियाँ और साग खाते हैं तो शरीर को

इसे पचाना, आसान होता है। इनके फाइबर सॉफ्ट होते हैं। इसलिए फ्रेश सब्जियाँ और गरगागरम खाना हमारे लिए बेहतर है।

3. वॉक, योग, कसरत और पूरी नींदः–

हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट की वॉक ज़रूरी है। साथ ही 15 मिनट का योग या एक्सरसाइज या फिर दोनों भी ज़रूर करें। यह शरीर को दुरुस्त रखने और मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर की मेटाबॉलिक ऐक्टिविटी को सही रखने में मदद करता है। इसलिए इसे नज़रअंदाज़ बिलकुल न करें।

4. खाने में 50 फीसदी हों कच्ची चीज़ें:– किसी भी थाली में कम से कम आधा हिस्सा कच्ची चीजें यानी सलाद हो। वे मौसमी होनी चाहिए। अजकल खीरा, टमाटर जैसी चीजें अहम हैं। सलाद को खाना शुरु करने से पहले खा सकते हैं। दरअसल सलाद में सॉफ्ट फाइबर मौजूद होते हैं। अगर सलाद बिना नमक और नीबू के खाएं तो बेहतर है। अगर नहीं खा पाएं तो थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। गाजर और चुकंदर को जब सलाद में मिलाना हो तो पहले इन दोनों को 5 से 7 मिनट हल्की आंच पर गर्म कर लें। इनहें गर्म करने का तरीका है कि एक बर्तन में गाजर और चुकंदर डाल दें और उसमें इतना पानी भर दें कि गाजर और चुकंदर डूब जाएं। इसके बाद इन्हें गर्म करें। फिर इन्हें खाएं। इनके अलावा एक से 2 मौसमी फल ब्रेकफास्ट के एक घंटे के बाद भी ज़रूर खाएं। वहीं अगर गेहूं (ग्लूटेन प्रोटीन) और गेहूं से बने उत्पाद पचाने में परेशानी हो तो इन्हें छोड़ सकते हैं।

5. पूरी भूख का चौथाई हिस्सा कम खाएं:–

खाना पचाने के लिए पेट का एक हिस्सा खाली रहना ज़रूरी है। दरअसल पेट के अंदर खाने को मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। खाने के बाद इसमें पाचक रस भी आकर मिलते हैं। इसलिए पाचक रस के लिए भी हमें जगह छोड़नी चाहिए, अगर हम उसे जगह नहीं देंगे तो परेशानी होगी ही। यह परेशानी अक्सर एसिड रिफ्लक्स के रूप में सामने आती है। जब भी खाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पेट का एक चौथाई या कम से कम पांचवां हिस्सा खाली रखें। इसी तरह पानी भोजन के साथ या फौरन बाद न पियें। खाना खाते वक़्त पानी या तो खाने से एक घंटा पहले पिएं या फिर खाने के एक घण्टे बाद। खाने के बीच में या फिर खाने के फौरन बाद दवा आदि खाने के लिए पीना भी पड़े तो एक से दो घूंट से काम चला लें। रात के खाने से लेकर सुबह की डाइट के बीच में 12 से 16 घंटे का गैप रखें।

❖❖❖❖

प्रिय पाठको! सलाम मसनून

आपका प्यारा ''सच्चा राही'' आप की सेवा में बराबर भेजा जा रहा है, परन्तु बड़े खेद की बात यह है कि हमारे बहुत से पाठकों का वार्षिक चन्दा बाकी है, उनको बार-बार लिखा जा चुका है। कृप्या आप अपना वार्षिक चन्दा भेज कर हमारा सहयोग करें, हम आपके आभारी होंगे।

सम्पादक

कर बन्दगी खुदा की

मग़रूर क्यों है इतना नादान होश में आ
कर ले यक़ीन दिल से तू ख़ाक का है पुतला
ये हाथ पांव तेरे तिनके का है सहारा
देता है रिज़्क़ तुझको परवरदिगार तेरा
कर बन्दगी खुदा की बन्दा है तू खुदा का

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

अबू मोहम्मद आमिर नदवी

''सबसे आलसी'' को चुनने की प्रतियोगिता:-

■ यूरोप के नॉर्थ मोन्टिनीग्रो के गाँव ब्रेजना में सबसे आलसी इंसान चुनने की प्रतियोगिता चल रही है। सात प्रतियोगी सबसे आलसी नागरिक' बनने के लिए 22 दिनों से लेटे हैं। *"Laziest Citizen"* चुनने की यह प्रतियोगिता 12 साल से हो रही है। इसमें हिस्सा लेने वालों को खाने, पीने, पढ़ने मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल की इजाजत है। हर 8 घंटे में वॉशरूम ब्रेक मिलता है।

अहमदाबाद पुलिस का एसी वाला हेलमेट:-

अहमदाबाद के एक पुलिस वाले के हेलमेट में एसी फिट है। ट्रैफिक स्टाफ को चिलचिलाती गर्मी में ठंडा रखने के लिए इस तरह के हेलमेट का ट्रायल शुरु हुआ है। इस हेलमेट में ज़्यादा बैकअप वाली बैटरी के साथ पंखा लगा है, जो शरीर पर हवा फेंकता है।

***5000* बिच्छुओं संग *33* दिन, बना रेकार्ड:-**

थाईलैंड की कंचना केतकेउ ने 12 वर्ग मीटर के कांच के कमरे में 5000 से ज़्यादा बिच्छुओं के साथ 33 दिन और रातें बिता कर गिनिस बुक में जगह बनाई है। कंचना ने 5,320 बिच्छुओं के साथ यह वक़्त बिताया, जिसे गिनिस बुक ने 12 सितम्बर को अपने रेकॉर्ड में जगह दी है। कंचना को इस दौरान 13 बार जहरीले बिच्छुओं ने डंक मारा। हर 8 घंटे में उन्हें 15 मिनट का टॉयलेट ब्रेक मिलता था। कंचना से पहले यह अनोखा रेकॉर्ड मलेशिया की नोर मैलेना हसन के नाम था।

पहले दिल तोड़ा, फिर दिल जीता! :-

ऐशिया कप के फाइनल में अपनी बोलिंग से श्रीलंकाई क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ने वाले फास्ट बोलर मोहम्मद सिराज ने फाइनल के बाद उनका दिल भी जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिसके लिए उन्हें 5000 यूएस डॉलर की इनामी राशि दी गई। सिराज ने यह राशि प्रेमदासा स्टेडियम के ग्राउंडसमेन के नाम कर दी। उन्होंने कहा, यह नकद पुरस्कार मैदानकर्मियों के लिए है। वे इसके हकदार हैं। उनके बिना यह टूर्नामेंट संभव नहीं था।'

२६ उंगलियों वाली बच्ची का जन्म:-

राजस्थान के डींग जिले के कामा कस्बे में 26 उंगलियों वाली एक बच्ची का जन्म हुआ है। नवजात के दोनों हाथों में सात–सात और पैरों में छः–छः उंगलियाँ हैं। माँ सरजू देवी और बच्ची स्वस्थ हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉ0 बी0एस0 सोनी ने बताया, लड़की के दोनों हाथों में सात–सात और पैरों में छः–छः। इस स्थिति को पॉलीडेक्टाइली कहा जाता है, जो दुर्लभ है लेकिन इसको शरीर का दुष्प्रभाव नहीं होता है। 'नवजात के परिजनों ने कहा कि हम सभी भाग्य शाली हैं कि 'लक्षमी' ने हमारे परिवार में जन्म लिया है।

क्रिकेट: महिलाओं को पुरुषों के बराबर इनाम :-

आई0सी0सी0 ने वेतन समानता लाने की कवायद के तहत गुरुवार को वैश्विक प्रतियोगिताओं में पुरुष और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की। 2019 वनडे वर्ल्ड कप विजेता इंग्लैंड को 28.4 करोड़ रूपये मिले थे, जबकि महिलाओं के 2022 वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बतौर चैंपियन सिर्फ 9.98 करोड़ रूपये प्राइज मनी मिली थी। ◆◆◆

नदवतुल उलमा
पोस्ट बाक्स न0 93, टैगोर मार्ग,
लखनऊ -226007 (भारत)

ندوۃ العلماء
پوسٹ بکس ۹۳ - ٹیگور مارگ
لکھنؤ ۲۲۶۰۰۷ (الہند)

दिनांक 01/10/2023   تاریخ

स्टॉफ़ क्वाटर्स की तामीर के लिए अपील

अल्लाह तआला का शुक्र व एहसान है कि दारुल उलूम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना सैय्यद बिलाल अब्दुल हई हसनी नदवी दामत बरकातुहुम, नाज़िम नदवतुल उलमा की सरपरस्ती में अपनी इल्मी व दीनी, तालीमी व तरबियती ख़िदमत अंज़ाम दे रहा है, दारुल उलूम और उसकी ब्रांचों में इल्मी तालीमी सिलसिला बराबर जारी है, टीचर्स व स्टॉफ अपनी ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स व स्टॉफ की अधिकता की वजह से दारुलउलूम में उनके रहने की गुंजाइश नहीं रही तो दारुलउलूम के मेन कैम्पस के अलावा माहद सिकरौरी में स्टॉफ क्वाटर्स और माहद के करीब नदवा कालोनी की तीन मंज़िला बिल्ड़िंग तामीर हुई, मगर अब भी स्टॉफ के लिए क्वाटर्स की कमी बहुत ज़ियादा महसूस की जा रही है, इस सूरते हाल की वजह से नदवा मेन कैम्पस से करीब मुहल्ला मकारिम नगर में कुछ और स्टॉफ क्वाटर्स बनाने का फैसला किया गया है, और अल्लाह तआ़ला की मदद के भरोसे पर यह तामीर शुरु कर दी गयी है।

नये स्टॉफ क्वाटर्स की यह बिल्डिंग तीन मंजिला होगी, जिसमें 9 फेमली क्वाटर्स होंगे, इसकी तामीर पर 1,15,00000/— (एक करोड़ पंद्रह लाख) रूपये के खर्च का अंदाज़ा है, जो इंशाअल्लाह अहले खैर हज़रात के सहयोग से पूरा होगा।

हम उम्मीद करते हैं कि आप इस अहम ज़रूरत की ओर फौरन तवज्जोह फरमायेंगे और नदवतुल उलमा के कारकुनों का हाथ बटायेंगे।

मौलाना जाफर मसऊद हसनी नदवी
नाजिरे आ़म नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) तक़ीउद्दीन नदवी
मोतमद तालीम नदवतुल उलमा

डॉ0 मुहम्मद असलम सिद्दीक़ी
मोतमद माल नदवतुल उलमा

(मौलाना डॉ0) सईदुर्रहमान आज़मी नदवी
मोहतमिम नदवतुल उलमा

नोटः चेक/ड्राफ्ट पर केवल यह लिखें:
NADWATUL ULAMA
और इस पते पर भेजें:
NAZIM NADWATUL ULAMA
Nizamat Office, Nadwatul Ulama.
Tagore Marg, Lucknow-226007 (UP)

बरा—ए—करम अतियात भेजने के बाद रसीद हासिल करने के लिए नं0 **8736833376** पर इत्तिला ज़रूर करें।

नदवतुल उलमा
STATE BANK OF INDIA MAIN BRANCH, LUCKNOW
(IFSC: SBIN0000125)
—:तअ़मीर:—
A/C No. 10863759733

नोटः नदवतुल उलमा, लखनऊ को दिये गये चन्दे को **Section 80G income Tax act 1961**के तहत छूट प्राप्त होगी।
Online Donation Link: https://www.nadwa.in.donation/ Website: www.madwa.in, Email: nizamat@nadwa.in